1091

[2023] 10 एस**.** सी**.** आर **1091:2023** आई**.** एन**.** एस**.** सी **632**

क.

अंबाजगन

वी.

पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य (2023 की आपराधिक अपील संख्या 2043)

20 जुलाई, 2023

[बी**.** आर**.** गवई और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस से दोषसिद्धि का परिवर्तन।304-मैं एस।304-आई. पी. सी. का II-एकल चोट-अभियोजन मामला कि अपीलार्थी और मृतक ने मार्ग के संबंध में मौखिक विवाद उठाया था और अपीलार्थी ने पीड़ित के सिर पर एक कृषि/बागवानी उपकरण-"कुदाल" से एक प्रहार किया था-जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित बेहोश हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई-निचली अदालत ने अपीलार्थी को गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जो हत्या के बराबर नहीं था।304-आई. पी. सी. का I और उसे 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी यू/एस की दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाली अपील को खारिज कर दिया।304-आई. पी. सी. का I-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:एस के दो भागों के बीच का अंतर।304 आई. पी. सी. की धारा यह है कि पहले भाग के तहत, हत्या का अपराध पहले स्थापित किया जाता है और फिर अभियुक्त को धाराओं के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है।300 आई. पी. सी. के, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी भी स्थापित नहीं होता है-इसलिए, किसी आरोपी को धाराओं के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के उद्देश्य से।304 आई. पी. सी. के अनुसार, अभियुक्त को अपने मामले को एस. के अपवादों में से एक के भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है।300 आई. पी. सी.-अभिलेख पर समग्र साक्ष्य को देखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि जब अपीलार्थी ने मृतक को अपराध के हथियार से मारा, तो उसका इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना था जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी-तत्काल मामले में अपराध का हथियार एक सामान्य कृषि उपकरण था न कि खरपतवार-अपीलार्थी को केवल इस ज्ञान के साथ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि इससे चोट लगने की संभावना थी जिससे मृत्यु होने की संभावना थी-ऐसी परिस्थितियों में, हाथ पर मामला खंड तीन के भीतर नहीं आता है।300 आई. पी. सी.-कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी यू/एस की दोषसिद्धि।304 आई. पी. सी. के भाग I को एक यू/एस में बदल दिया गया है।304 आई. पी. सी. का भाग II-परिवर्तित दोषसिद्धि के लिए, अपीलार्थी को पाँच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1091 ए.

दंड संहिता, 1860-एस. एस.299, 300 और 304 भाग-II-एकल चोट-इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या किसी अभियुक्त को ऐसे मामले में दोषी इरादे या दोषी ज्ञान था जहां उसके द्वारा केवल एक ही चोट लगाई गई है और यह चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, यह तथ्य कि यह कार्य अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्व-चिंतन के बिना किया गया है, या यह कि परिस्थितियाँ यह उचित ठहराती हैं कि चोट आकस्मिक या अनजाने में थी, या कि उसने केवल एक साधारण चोट का इरादा किया था, दोषी ज्ञान का अनुमान लगाएगा, और अपराध एक यू/एस होगा।304 आई. पी. सी. का भाग II।

दंड संहिता, 1860 -धारा 304 भाग-I-आई. पी. सी. की धारा 304 की प्रयोज्यता निम्नलिखित वर्गों के मामलों पर लागू होगीः(i) जब मामला धारा 300 के खंडों में से एक या दूसरे के तहत आता है, लेकिन यह उस धारा के अपवादों में से एक द्वारा कवर किया जाता है, (ii) जब होने वाली चोट उच्च स्तर की संभावना की नहीं होती है जो 'प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त' अभिव्यक्ति द्वारा कवर की जाती है, लेकिन इसकी संभावना कम होती है जिसे आम तौर पर 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना' के रूप में कहा जाता है और मामला आईपीसी की धारा 300 के खंड (2) के तहत नहीं आता है, (iii) जब यह कार्य इस जानकारी के साथ किया जाता है कि मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु या मृत्यु का कारण बनने की संभावना वाली चोट के इरादे के बिना।

ग

डी.

ई.

दंड संहिता, 1860-मारने का इरादा-मारने का इरादा एकमात्र इरादा नहीं है जो एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है-प्रकृति के सामान्य कारण में पर्याप्त चोट या चोट पहुँचाने का इरादा भी एक गैर-इरादतन हत्या बनाता है यदि मृत्यु वास्तव में हुई है और ऐसी चोट या चोट पहुँचाने का इरादा चोट या चोट के परिणामस्वरूप कार्य या कार्यों से अनुमान लगाया जाना है।

च

दंड संहिता, 1860 -s.299 और s.300 – चर्चा की।आपराधिक कानून-उद्देश्य और ज्ञान-पर चर्चा की गई।

जी.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** कानून के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः**-** **-**प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

(1) जब अदालत से इस सवाल का सामना किया जाता है कि अभियुक्त ने क्या अपराध किया है, तो सही ए।

एच.

1093

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य ए

परीक्षण कार्य को करने में अभियुक्त के इरादे या ज्ञान का पता लगाने के लिए है।यदि इरादा या जानकारी ऐसी थी जैसा कि आई. पी. सी. की धारा **300** के खंड **(1)** से **(4)** में वर्णित है, तो यह कार्य हत्या होगी, भले ही केवल एक चोट लगी हो। इसे स्पष्ट करने के लिएः'ए 'हाथ और पैर से बंधा होता है।'बी 'आता है और अपनी रिवॉल्वर को' ए 'के सिर पर रखता है, उसके सिर में' ए 'गोली मारता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है।यहां यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि 'ए' की शूटिंग में 'बी' का इरादा उसे मारने का था, हालांकि केवल एक चोट लगी थी।अतः यह मामला आई. पी. सी. की धारा **300** के खंड **(1)** के अंतर्गत आने वाली हत्या का होगा। एक अन्य उदाहरण लेते हुए, 'बी' अपने दुश्मन 'ए' के शयनकक्ष में घुस जाता है, जबकि 'ए' अपने बिस्तर पर सो रहा होता है।'ए' की बाईं छाती पर निशाना साधते हुए, 'बी' जबरन 'ए' की बाईं

छाती में तलवार फेंक देता है और भाग जाता है।'इसके तुरंत बाद ए 'की मृत्यु हो जाती है।प्रकृति के सामान्य क्रम में 'ए' की चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाई गई।यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि 'बी' ने जानबूझकर विशेष चोट को जन्म दिया और यह कि उक्त चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए निष्पक्ष रूप से पर्याप्त थी।यह 'बी' के अधिनियम को आई. पी. सी. की धारा **300** के खंड **(3)** के भीतर लाएगा और उसे हत्या के अपराध का दोषी ठहराएगा, हालांकि केवल एक चोट लगी थी।

ग

डी.

(2) यहां तक कि जब अभियुक्त का इरादा या जानकारी आई. पी. सी. की धारा **300** के खंड **(1)** से **(4)** के भीतर आ सकती है, तब भी अभियुक्त का कार्य जो अन्यथा हत्या होगी, हत्या के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, यदि अभियुक्त का मामला उस धारा में उल्लिखित पांच अपवादों में से किसी एक को आकर्षित करता है।उन अपवादों में से किसी के अंतर्गत आने वाले मामले की स्थिति में, अपराध आई. पी. सी. की धारा **304** की धारा **1** के अंतर्गत आने वाली गैर इरादतन हत्या होगी, यदि अभियुक्त का मामला आई. पी. सी. की धारा **300** के खंड **(1)** से **(3)** के भीतर आता है। यदि मामला आई. पी. सी. की धारा **300** के खंड **(4)** के अंतर्गत आता है तो यह धारा **304** के भाग **2** के तहत अपराध होगा। पुनः, अभियुक्त का इरादा या जानकारी ऐसी हो सकती है कि आई. पी. सी. की धारा **299** का केवल दूसरा या तीसरा भाग आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन आई. पी. सी. की धारा **300** के किसी भी खंड को नहीं। उस स्थिति में भी, अपराध आई. पी. सी. की धारा **304** के तहत गैर इरादतन हत्या होगी। यह उस धारा के भाग **I** के तहत एक अपराध होगा, यदि मामला धारा के दूसरे भाग के भीतर आता है।

ई.

च

जी.

एच.

धारा **299**, जबकि यह धारा **304** के भाग **II** के तहत एक अपराध होगा यदि मामला आई. पी. सी. की धारा **299** के तीसरे भाग के भीतर आता है। **(3)** दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति का कार्य आई. पी. सी. की धारा **299** में वर्णित गैर इरादतन हत्या के मामलों के पहले दो खंडों के भीतर आता है, तो यह धारा **304** के पहले भाग के तहत दंडनीय है।हालाँकि, यदि यह तीसरे खंड के भीतर आता है, तो यह धारा **304** के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।वास्तव में, इसलिए, इस धारा का पहला भाग तब लागू होगा जब 'दोषी इरादा' हो, जबकि दूसरा भाग तब लागू होगा जब ऐसा कोई इरादा नहीं हो, लेकिन 'दोषी ज्ञान' हो।

(4) भले ही एक चोट लगी हो, अगर उस विशेष चोट का इरादा था, और निष्पक्ष रूप से वह चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, तो आई. पी. सी. की धारा **300** के खंड **3** की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और अपराध हत्या होगी।

ग

(5) आई. पी. सी. की धारा **304** निम्नलिखित वर्गों के मामलों पर लागू होगी:**(i)** जब मामला धारा **300** के खंडों में से एक या दूसरे के तहत आता है, लेकिन यह उस धारा के अपवादों में से एक द्वारा कवर किया जाता है, **(ii)** जब हुई चोट अधिक संभावना की नहीं होती है जो 'प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त' अभिव्यक्ति द्वारा कवर की जाती है, लेकिन इसकी संभावना कम होती है जिसे आम तौर पर 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना' के रूप में कहा जाता है और मामला आईपीसी की धारा **300** के खंड **(2)** के तहत नहीं आता है, **(iii)** जब यह कार्य इस जानकारी

के साथ किया जाता है कि मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु या मृत्यु का कारण बनने की संभावना वाली चोट के इरादे के बिना किया जाता है।

डी.

ई.

च

(6) 'संभावित' शब्द का अर्थ है संभवतः और यह अधिक 'संभवतः' से अलग है।जब ऐसा होने की संभावना समान या उससे अधिक होती है जो ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बात 'शायद होगी'।निष्कर्ष पर पहुँचने में, अदालत को खुद को अभियुक्त की स्थिति में रखना होता है और फिर यह निर्णय करना होता है कि क्या अभियुक्त को इस बात की जानकारी थी कि इस कार्य से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी।

जी.

(7) आई. पी. सी. की धारा **302** के तहत किसी आरोप से निपटने के दौरान गैर इरादतन हत्या **(**आई. पी. सी. की धारा **299)** और हत्या **(**आई. पी. सी. की धारा **300)** के बीच के अंतर को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। गैरकानूनी हत्याओं की श्रेणी के तहत, दोनों ए

एच.

1095

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य ए

गैर इरादतन हत्या के मामले और गैर इरादतन हत्या के मामले गिरेंगे।जब मामला आई. पी. सी. की धारा **300** के पांच अपवादों के भीतर लाया जाता है तो दोषपूर्ण हत्या हत्या नहीं है। लेकिन, भले ही उक्त पांच अपवादों में से किसी का भी अनुरोध नहीं किया गया है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया गया है, फिर भी हत्या के आरोप को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा **300** के चार खंडों में से किसी के तहत मामले को लाने के लिए कानून के तहत अभियोजन की आवश्यकता होनी चाहिए।यदि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा **300** के चार खंडों में से किसी एक को स्थापित करने में इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, अर्थात्, **1** से **4** तक, तो हत्या का आरोप नहीं लगाया जाएगा और मामला गैर-इरादतन हत्या का हो सकता है जैसा कि आई. पी. सी. की धारा **299** के तहत वर्णित है।

ग

(8) अदालत को पुरुषों के अधिकार के सवाल पर खुद को संबोधित करना चाहिए।यदि धारा **300** का तीसरा खंड लागू किया जाना है, तो हमलावर को मृतक को दी गई विशेष चोट का इरादा रखना चाहिए।इस घटक को शायद ही कभी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।अनिवार्य रूप से, यह मामले की सिद्ध परिस्थितियों से लिया जाने वाला विषय है। अदालत को आवश्यक रूप से उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, शरीर के घायल हिस्से, चोट की सीमा, चोट पहुँचाने में उपयोग किए गए बल की मात्रा, हमले के तरीके, हमले से पहले की परिस्थितियों और परिचर को ध्यान में रखना चाहिए।

डी.

ई.

(9) हत्या का इरादा ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है जो एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है।प्रकृति के सामान्य कारण में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोट या चोट पहुँचाने का इरादा भी एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है यदि मृत्यु वास्तव में हुई है और ऐसी चोट या चोट पहुँचाने के इरादे का अनुमान उस कार्य या कार्य से लगाया जाना है जिसके परिणामस्वरूप चोट या चोट लगी है।**(10)** जब अभियुक्त द्वारा की गई एकल चोट के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का इरादा मृत्यु या उस विशेष

चोट का कारण बनने का नहीं था जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हुई।किसी अभियुक्त का दोषी ठहराने का इरादा था या नहीं, यह तथ्य का सवाल है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है।

च

जी.

(11) जहाँ अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि अभियुक्त का इरादा किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक कारण बनाने का था

एच.

उसे चोट पहुँचाना और इच्छित चोट पहुँचाना प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, फिर, भले ही वह एक भी चोट पहुँचाता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, अपराध पूरी तरह से आई. पी. सी. की धारा **300** के तीसरे खंड के तहत आता है जब तक कि एक अपवाद लागू नहीं होता है।

(12) सवाल का निर्धारण करने में, क्या किसी आरोपी को ऐसे मामले में दोषी होने का इरादा या दोषी ज्ञान था जहां उसके द्वारा केवल एक ही चोट दी गई है और यह चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, यह तथ्य कि यह कार्य अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्व-चिंतन के बिना किया गया है, या यह कि परिस्थितियां कि चोट आकस्मिक या अनजाने में थी, या कि उसने केवल एक साधारण चोट का इरादा किया था, दोषी ज्ञान का अनुमान लगाएगा, और अपराध आईपीसी की धारा **304** भाग **II** के तहत एक होगा। **[**पैरा **60] [1127-**एच**; 1128-**ए-एच**; 1129-**ए-एच**; 1130-**ए-एच**; 1131-**ए-डी**]**

ग

2. अभिलेख पर समग्र साक्ष्य को देखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि जब अपीलार्थी ने मृतक को अपराध के हथियार से मारा, तो उसका इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना था जो मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त थी।वर्तमान मामले में अपराध का हथियार एक सामान्य कृषि उपकरण है।यदि किसी व्यक्ति के सिर पर पर्याप्त बल से खरपतवार से मारा जाता है, तो यह मृत्यु का कारण बनना तय है।यह सच है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिखाई गई चोटें पार्श्विका हड्डी के साथ-साथ अस्थायी हड्डी का फ्रैक्चर है।मृतक की मृत्यु मस्तिष्क संपीड़न यानी सिर की आंतरिक चोटों के कारण हुई।तथापि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या यह अपने आप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी का इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना था जो मृत्यु पहुँचाने के लिए पर्याप्त थी।इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी को केवल इस ज्ञान के साथ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि इससे ऐसी चोट लगने की संभावना थी जिससे मृत्यु होने की संभावना थी।यह ऐसी परिस्थितियों में है कि यह न्यायालय यह विचार लेने के लिए इच्छुक है कि मामला आई. पी. सी. की धारा **300** के तीसरे खंड में नहीं आता है। **[**पैरा **62] [1131-**जी-एच**; 1132-**ए-बी**]**

डी.

ई.

च

जी.

थोलन बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर **1984** एससी **759:[1984] 2** एस. सी. सी. **133;** चामरू, बुधवा का पुत्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. **1954** एस. सी. **652;** विली **(**विलियम**)** स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. **1956** एस. सी. **116:[1955]** ए.

एच.

1097

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य ए

एससीआर **1140;** कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य**, (1981) 4** एससीसी **245;** जगतर सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1983) 2** एससीसी **342;** हेम राज बनाम राज्य **(**दिल्ली प्रशासन**) (1990)** पूरक एस**.** सी**.** सी**. 291;** पुलिचेरला नागराजू बनाम ए**.** पी**.** राज्य। **(2006) 11** एससीसी

444 :[2006] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 633-**पर निर्भर।

बासदेव बनाम पेप्सू राज्य ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 488:[1956]

एस. सी. आर. 363; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु

पुन्नय्या (1976) 4 एस. सी. सी. 382:[1977] 1 एससीआर 601; विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1958 एससी 465:[1958]

एससीआर **1495;** जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य **(1981) 3**

एससीसी 616:[1981] 3 एस. सी. आर. 839; जवाहर लाल बनाम राज्य

ग

पंजाब (1983) 4 एस. सी. सी. 159; कैमिलो वाज बनाम गोवा राज्य

[(2000) 9 एससीसी 1:[2000] 2 एससीआर 1088; जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1991) 2 एससीसी 32:[1991] 1 एससीआर

202; आंडा बनाम राजस्थान राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1966** एस**.** सी**. 148;** ए**.** पी**.** बनाम राज्यरायवरपु पुन्नय्या **(1976) 4** एस**.** सी**.** सी**. 382:[1977] 1** एस**.** सी**.** आर**. 601;** श्रीमती माथरी बनाम पंजाब राज्य

डी.

एयर 1964 एससी 986:[1964] एससीआर 916; फुलिया टुडू बनाम बिहार राज्य (2007) 14 एससीसी 588: [2007] 9 एससीआर 997;

राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1966** एस**.** सी**. 1874:[1966]** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 230;** विनीत कुमार चौहान बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश (2007) 14 एस. सी. सी. 660:[2007] 13 एस. सी. आर. 727-संदर्भित।

ई.

भगवंत बनाम केदारी आई. एल. आर. 25 बॉम्बे 202; री में

कुदुमुला महानंदी रेड्डी एयर **1960** एपी **141;** सम्राट बनाम सरदारखान जरीदखान एयर **1916** बम **191**

– संदर्भित किया गया।

च

रेग. वी.मंकहाउस (1849) 4 COX CC 55-संदर्भित।

आपराधिक कानून की रूपरेखा, पृष्ठ **31** पर सत्रहवाँ संस्करण; अपराध पर रसेल, बारहवाँ संस्करण, पृष्ठ **41** पर पहला खंड-संदर्भित।

जी.

निर्णीत विधि संदर्भ

[1964] एससीआर **916**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[1956] एससीआर **363**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[1977] 1 एससीआर **601**

संदर्भित किया गया है

पैरा **34**

एच.

[1958] एससीआर **1495**

संदर्भित किया गया है

पैरा **36**

[2007] 9 एससीआर **997**

संदर्भित किया गया है

पैरा **36**

[1966] पूरक।एससीआर **230**

संदर्भित किया गया है

पैरा **40**

[1981] 3 एससीआर **839**

संदर्भित किया गया है

पैरा **45**

पैरा **47**

(1983) 4 एससीसी **159**

संदर्भित किया गया है

[2000] 2 एससीआर **1088**

संदर्भित किया गया है

पैरा **48**

[1991] 1 एससीआर **202**

संदर्भित किया गया है

पैरा **49**

पैरा **51**

ए**.** आई**.** आर **1966** एस**.** सी**. 148**

संदर्भित किया गया है

ग

पैरा **53**

[2007] 13 एससीआर **727**

संदर्भित किया गया है

[1977] 1 एससीआर **601**

संदर्भित किया गया है

पैरा **53**

[1984] 2 एससीसी **133**

पर भरोसा किया

पैरा **54**

ए**.** आई**.** आर **1954** एस**.** सी**. 652**

पर भरोसा किया

पैरा **55**

डी.

पैरा **55**

पर भरोसा किया

[1955] एससीआर **1140**

(1981) 4 एससीसी **245**

संदर्भित किया गया है

पैरा **56**

(1983) 2 एससीसी **342**

पर भरोसा किया

पैरा **57**

(1990) सप एस**.** सी**.** सी**. 291**

पर भरोसा किया

पैरा **58**

ई.

[2006] 4 पूरक।एससीआर **633** पर भरोसा किया गया

पैरा **59**

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 2043।

2019 के सी. आर. एल. ए. सं. 193 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

च

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. पार्थिबन, सुश्री प्रियरंजनी नागमुथु, आर. सुधाकरन, सुश्री शालिनी मिश्रा, जी. आर. विकास, बिलाल मंसूर, टी. हरि हरन सुधन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री वैदेही रस्तोगी, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.:**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

एच.

1099

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

क.

2. यह अपील एक दोषी अभियुक्त के कहने पर की गई है और मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 2019 की आपराधिक अपील संख्या 193 में पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिससे 2017 के सत्र मामले संख्या 41 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नामक्कल द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा की पुष्टि होती है।

3. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और उसके पिता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) के साथ पठित दंडनीय अपराध के लिए 2017 के सत्र मामला संख्या 41 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नामक्कल की अदालत में मुकदमा चलाया गया था।ट्रायल कोर्ट ने इसमें अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 10, 000/- और जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर एक वर्ष का और कठोर कारावास।सह-अभियुक्त अर्थात अपीलार्थी के पिता को विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया।

ग

डी.

4. अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में गया।उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाली अपील को खारिज कर दिया।

ई.

5. शुरुआत में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने प्रस्तुत किया कि वह इस अपील को गुण-दोष के आधार पर नहीं दबा रहे हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनका एकमात्र प्रयास इस न्यायालय को अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध से आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II में बदलने और तदनुसार सजा को कम करने के लिए राजी करना है।

च

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

6. अभिलेख पर साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी एक कृषक है।तमिलनाडु में स्थित सिरुखिनाथुपालयम नाम के एक गाँव में उनकी कृषि भूमि है।मृतक बालासुब्रमण्यम भी एक कृषक थे और अपीलार्थी की कृषि भूमि के बगल में उनकी अपनी कृषि भूमि थी।अपीलार्थी की कृषि भूमि की ओर जाने वाला एक मार्ग था जिस पर मृतक के कुछ मुद्दे थे।घटना के समय, अपीलार्थी ने

जी.

एच.

कसावा के पौधों (टैपोइका) की खेती की जो कटाई के लिए तैयार थे।लगभग 7 बजे, अपीलार्थी और उसके पिता फसल की कटाई कर रहे थे और उन्होंने अपने खेत से उसे ले जाने के लिए एक लॉरी की भी व्यवस्था की थी।सुबह लगभग 11 बजे, मृतक घटना स्थल पर आया और लॉरी के चालक को यह कहते हुए धमकी दी कि वह अपीलार्थी के कृषि क्षेत्र की ओर जाने वाले रास्ते से अपने लॉरी को न चलाए।उस समय अपीलार्थी और उसके पिता अपने खेत में थे।कहा जाता है कि अपीलार्थी ने लॉरी के चालक को फसल को लोड करने के लिए लॉरी को अपने खेत में ले जाने के लिए कहा था।मृतक ने इस पर सवाल उठाया जिसके परिणामस्वरूप झगड़ा हो गया।अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच काफी समय तक मौखिक बहस के बाद, अपीलार्थी पर आरोप लगाया जाता है कि उसने एक "हो" (तमिल में कलाईकोट्टू, एक छोटे से धातु के ब्लेड के साथ एक बागवानी उपकरण जिसमें मुख्य रूप से खरपतवार के लिए उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के हैंडल के साथ जुड़ा हुआ था) उठाया और मृतक के सिर पर एक भी प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक बेहोश हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

ग

7. एफ़. आई. आर. 25.10.2015 पर 19.30 घंटे में दर्ज की गई थी। जाँच पूरी होने पर पुलिस ने हत्या के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया।मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था क्योंकि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नामक्कल ने दिनांक 06.09.2017 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित आरोप तैयार किए:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“जबकि मृतक बालासुब्रमण्यम अपनी पत्नी बेबी और परिवार के सदस्यों के साथ पंडमंगलम में सरकारी हाई स्कूल के पास सेवलकट्टू मूलाई में रह रहा है; कि अल ए2 का बेटा है; कि दोनों आरोपी पूसरीपालयम में रह रहे थे; सिरुकिनात्रिपालयनःअभियुक्त और मृतक बालासुब्रमण्यर्ण दोनों की कृषि भूमि एक-दूसरे की भूमि के बगल में थी; कि इन दोनों भूमि के बीच एक मार्ग था और दोनों पक्षों के बीच उस मार्ग के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से पूर्व शत्रुता रही है। 25.10.2015 पर 07.30 बजे अल और ए2 अपनी भूमि में उगाए गए और काटे गए टैपिओका को श्री पलानीवल के स्वामित्व वाले एक लॉरी में लोड कर रहे थे, जिसका पंजीकरण संख्या टी. एन. 33 ए. एफ. 3114 था और उस लॉरी को विवादित मार्ग पर खड़ा कर रहे थे।उस समय मृतक बालासुब्रमण्यम वहाँ आया और उन्हें बताया कि लॉरी को अंदर नहीं ले जाया जा सकता है और उसे अवरुद्ध कर दिया।फिर ए2 ने मृतक बालासुब्रमण्यम पर चिल्लाते हुए कहा, "आपके पास ए नहीं है।

ई.

च

जी.

एच.

1101

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

यहाँ का रास्ता।आप जिसे चाहें ला सकते हैं "और फिर अल और ए2 ने मृतक बालासुब्रमण्यम को नीचे धकेल दिया और उसकी हत्या करने के इरादे से अल ने मृतक बालासुब्रमण्यम के सिर पर" खरपतवार हटाने वाली कुल्हाड़ी "(कलाईकोठी) से मारा था, जबकि ए2 उस पर पथराव कर रहा था, जिससे मृतक बालासुब्रमण्यम के सिर पर गंभीर चोटें आईं।बालासुब्रमण्यम को तुरंत वेलूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, फिर उन्हें नामक्कल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार का कोई असर नहीं हुआ और रात को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।इसलिए आप अभियुक्त ने आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध किया है और जिस पर इस अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।

ग

मैं एतद्द्वारा एक आदेश जारी करता हूं कि आप दोनों अल और ए2 पर उपरोक्त अपराध के लिए इस अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।"

8. अपीलार्थी और सह-अभियुक्त (अपीलार्थी के पिता) ने उपरोक्त आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों से पूछताछ की।हालाँकि, पीडब्लू 8-चिदंबरम और पीडब्लू 9-जीवा घटना के चश्मदीद गवाह होने के नाते मुख्य गवाह हैं।दोनों चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी है कि घटना की तारीख को अपीलार्थी और मृतक के बीच रास्ते के संबंध में मौखिक बहस हुई और कहा जाता है कि अपीलार्थी ने अपराध के हथियार से मृतक के सिर पर एक प्रहार किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।

डी.

ई.

मौखिक प्रमाण

9. पीडब्लू-8 अर्थात् चिदम्बरम ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार बयान दिया है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“मैं अब इंदिरा नगर, थथैयंगर पट्टी में रह रहा हूँ।मैं लॉरी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा हूँ।मैं वर्तमान अभियुक्त को जानता हूँ। लगभग 3 साल पहले मैं टैपिओका की फसल ले जाने के लिए अपने लॉरी को पूसरी पलायम में अनबाझगन के खेत में ले गया

था।सुब्रमण्यम, वीरासामी, राजा माणिकम और जीवा मेरे साथ थे।जब सुब्रमण्यम, वीरासामी, राजा माणिकम और जीवा टैपिओका के कंदों की कटाई कर रहे थे, तो बगल के खेत से संबंधित व्यक्ति ने हमसे कहा कि लॉरी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि आरोपी का उस रास्ते को लेकर विवाद है जिसमें लॉरी चल रही थी।मैं अपने लॉरी में चढ़ गया।उस समय आरोपी अनबाझगन

जी.

एच.

1102 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

अपने खेत में बाजरा तोड़ रहा था।फिर उन्होंने मुझे लॉरी को अपने खेत के पास लाने के लिए कहा।मैंने उसे वही बताया जो पड़ोसी ने मुझे बताया था।लेकिन जैसे ही मैं अपने लॉरी को आगे ले गया, अनबाझगन और पड़ोसी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई।फिर ए 2 उस जगह पर आया।वह भी चिल्ला रही थी।दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी एम. ओ. 1 के साथ, ए 1 अनबाझगन ने पड़ोसी के सिर पर वार किया।पड़ोसी के मुँह पर चोटें आईं।"

10. पीडब्लू-9 अर्थात् जीवा ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार अपदस्थ किया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"मैं अब इंदिरा नगर, थथैयंगर पट्टी में रह रहा हूँ।मैं एक कुली हूँ।मैं यहाँ मौजूद अभियुक्त को जानता हूँ।मैं पूसरी पालयम में सुबह 25.10.2015 पर 07.30 और 08.00 के बीच चिदंबरम, सुब्रमण्यम, वीरासामी, राजा माणिकम के साथ आरोपी अन्बझगन के बगीचे में टैपिओका कंद तोड़ने गया।हम कंदों को इकट्ठा करने के लिए अन्बझगन के साथ मैदान के अंदर गए।जब हम कंद इकट्ठा करके पौधों को साफ कर रहे थे तो चिदंबरम लॉरी को खेत के अंदर ले गए।तुरंत मृतक बालासुब्रमण्यम अंदर आ गए।वह ड्राइवर पर चिल्ला रहा था और उससे पूछ रहा था कि उसे अंदर प्रवेश करने का अधिकार किसने दिया।उन्होंने यह बात अन्बझगन को बताई।मृतक बालासुब्रमण्यम सड़क पर खड़ा था।वहाँ मौजूद दोनों आरोपी टैपिओका इकट्ठा कर रहे थे।संयोग से आरोपी और मृतक के बीच जुबानी जंग होने लगी।हम टूटे हुए कंदों को सुरक्षित कर रहे हैं।लड़ाई और बड़ी हो गई।तेज आवाज सुनकर हम सभी सड़क पर आ गए जहाँ मौखिक लड़ाई चल रही थी।उस समय आरोपी ने मृतक के सिर पर शादी की कुल्हाड़ी से वार किया जिससे वह घायल हो गया।वह तुरंत नीचे गिर गया।"

ग

डी.

ई.

च

11. पीडब्लू-18 डॉ. अंबुमलार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"मैं वर्तमान में नामक्कल सरकारी जिला प्रमुख अस्पताल में एक वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में काम कर रहा हूँ।आई. डी. 1 पर, जब मैं ड्यूटी पर था, तब बालासुब्रमण्यम (57 वर्षीय) के शव को हेड कांस्टेबल अरुणगिरी द्वारा अनुमति पत्र के साथ पोस्टमॉर्टम के लिए लाया गया और तदनुसार आई. डी. 1 पर दोपहर 2.15 बजे पोस्टमार्टम किया गया।पोस्टमॉर्टम जाँच का विवरण इस प्रकार है-ए

जी.

एच.

1103

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

क्रमशः बाहरी चोटें,

कान और नाक से खून बह रहा था, बाईं आंख की भौंह के ऊपर 3 × 2 सेमी की चोट लगी थी।बाएँ माथे पर 4×2 से. मी. की चोट पाई गई।सामने की खोपड़ी की हड्डी दोनों तरफ (दोनों पार्श्विका हड्डी) टूट गई थी।

आंतरिक निरीक्षण विवरण -

खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी और भीतरी परत फट गई थी।बायीं ओर की अस्थायी हड्डी 7.5 सेमी।टूट गया था।खोपड़ी के आधार पर खून का थक्का था।अंकुरक भीतरी भाग लाल छल।नेविकुलर हड्डी सही थी।बाईं पसलियाँ 3 और 4 टूट गई थीं।"

ग

12. अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने और विशेष रूप से घटना की उत्पत्ति, हमले के तरीके और हथियार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने यह विचार रखा कि मामला आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या का नहीं था, बल्कि इसे आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 1 के तहत दंडनीय हत्या के बराबर गैर इरादतन हत्या का मामला कहा जा सकता है और तदनुसार अपीलार्थी को इसमें सजा सुनाई गई।

डी.

13. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा कि निचली अदालत अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने में सही थी।

ई.

14. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ऐप्पलेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

15. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने यहां प्रस्तुत किया कि जिस तरीके से घटना हुई थी और अपीलार्थी की भूमिका पर विचार करते हुए, दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I से आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत एक में बदला जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड तीन के अंतर्गत नहीं आता है। अपीलार्थी को केवल 'ज्ञान' और 'इरादा नहीं' के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

च

जी.

उत्तरदायी राज्य के स्वयं के बारे में निवेदन

16. दूसरी ओर प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने

एच.

साथ ही उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। विद्वान वकील के अनुसार, मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के दायरे में नहीं आता है। वह प्रस्तुत करेंगे कि मामला

आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड तीन के अंतर्गत आता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आई. पी. सी. की धारा 300 का अपवाद 4 आकर्षित करता है और इसलिए, अदालतों ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया।

विश्लेषण

17. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II में बदल दिया जाना चाहिए।

ग

18. हमने घटना की उत्पत्ति और इसमें अपीलार्थी की भूमिका के संबंध में एक उचित विचार से अधिक दिया है।डॉ. कार्तिकेयन (पीडब्लू-15) की जाँच अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सा अधिकारी के रूप में की गई थी जिन्होंने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, डॉक्टर ने तीन चोटों को नोट किया है, (i) बाईं आंख पर 4 x 2 सेमी से अधिक की चोट लगी है, (ii) बाएं माथे पर 4 x 3 सेमी की चोट लगी है, और (iii) बाईं आंख के चारों ओर 4 x 2 सेमी की चोट लगी है।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में चोट लगने के कारण सदमे और रक्तस्राव प्रतीत होता है।

डी.

ई.

19. जैसा कि हमारे सामने एकमात्र तर्क दिया गया है कि मामला गैर-इरादतन हत्या से परे नहीं जाता है क्योंकि यह आई. पी. सी. की धारा 299 के तीसरे भाग के भीतर आता है, आरोपी को केवल यह कहा जा सकता है कि उसे इस बात की जानकारी है कि वह अपने कृत्य से मौत का कारण बन सकता है न कि मृतक को मारने के इरादे से, हमें 'इरादे' और 'ज्ञान' शब्दों के बीच के अच्छे अंतर की व्याख्या करनी चाहिए।

च

इरादा और जानकारीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

20. "इरादा" शब्द तीरंदाजी या लक्ष्य शब्द से लिया गया है।प्रयास किया गया "कार्य" एक आदमी को मारने के "इरादे" के साथ होना चाहिए।21. इरादे, जो मन की एक स्थिति है, को कभी भी एक तथ्य के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सटीक रूप से साबित नहीं किया जा सकता है; इसका अनुमान केवल अन्य तथ्यों से लगाया या लगाया जा सकता है जो साबित होते हैं।इरादे को घटना से पहले या बाद के कृत्यों या घटनाओं या ए द्वारा साबित किया जा सकता है।

जी.

एच.

1105

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

घटना, प्रवेश पर।किसी व्यक्ति के इरादे को प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए।विभिन्न प्रासंगिक परिस्थितियाँ हैं जिनसे इरादा एकत्र किया जा सकता है। कुछ प्रासंगिक विचार निम्नलिखित हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -1. प्रयुक्त हथियार की प्रकृति।

2. वह स्थान जहाँ चोटें लगी थीं।3. चोटों की प्रकृति।

4. उपलब्ध अवसर जो अभियुक्त को मिलता है।

22. श्रीमती के मामले में। माथरी बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी.

986, पृष्ठ 990 पर, जे. दास गुप्ता ने 'आशय' शब्द की अवधारणा की व्याख्या की है।प्रासंगिक टिप्पणियाँ भगवंत बनाम केदारी, आई. एल. आर. 25 बॉम्बे 202 के निर्णय में जे. बैटी द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करके की गई हैं।वे इस प्रकार हैंः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“अपनी व्युत्पत्ति से "आशय" शब्द, तीरंदाजी के लिए रूपक संकेत प्रतीत होता है, और इसका अर्थ है "लक्ष्य" और इस प्रकार एक आकस्मिक या केवल संभावित परिणाम को नहीं दर्शाता है-शायद एक असंभव घटना के रूप में नहीं, बल्कि वांछित नहीं-बल्कि एक उद्देश्य को दर्शाता है जिसके लिए प्रयास किया जाता है-और इस प्रकार इसका संदर्भ है जिसे प्रमुख उद्देश्य कहा गया है, जिसके बिना, कार्रवाई नहीं की गई होती।"

डी.

ई.

(बल दिया गया)

23. बासदेव बनाम पेप्सू राज्य, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 488 के मामले में,

पृष्ठ 490 पर, जे. चंद्रशेखर अय्यर द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“6. .....बेशक, हमें उद्देश्य, इरादे और ज्ञान के बीच अंतर करना होगा।अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज है जो एक आदमी को एक इरादा बनाने के लिए प्रेरित करती है और ज्ञान कार्य के परिणामों के बारे में जागरूकता है।कई मामलों में इरादा और ज्ञान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और इसका अर्थ कमोबेश एक ही होता है और इरादे का अनुमान ज्ञान से लगाया जा सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्ञान और इरादे के बीच की सीमांकन रेखा कम है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि वे अलग-अलग चीजों को दर्शाते हैं।यहाँ तक कि कुछ अंग्रेजी निर्णयों में भी, तीनों विचारों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है और इससे एक निश्चित मात्रा में भ्रम पैदा हुआ था।"

च

जी.

एच.

(बल दिया गया)

24. निर्णय के पैरा 9 में, पृष्ठ 490 पर, जे. कोलरिज द्वारा रेग. v. में की गई टिप्पणियाँ।मंकहाउस, (1849) 4 COX CC 55 (C) का उल्लेख किया गया है।उन्हें इस स्तर पर लाभ के साथ संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे बहुत रोशन हैंः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“इरादे के बारे में पूछताछ उससे कहीं कम सरल है कि क्या कोई कार्य किया गया है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के दिमाग में यह देखने के लिए नहीं देख सकते कि किसी भी समय वहां क्या चल रहा था।वह क्या चाहता है, इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि वह क्या करता है या क्या कहता है, और अगर वह कुछ नहीं कहता है, तो केवल उसका कार्य ही

आपको आपके निर्णय के लिए मार्गदर्शन करेगा।आपराधिक कानून में यह एक सामान्य नियम है, और यह सामान्य ज्ञान पर आधारित है, कि जूरी को एक आदमी को ऐसा करने के लिए मान लेना चाहिए जो उसके कार्य का स्वाभाविक परिणाम है। परिणाम कभी-कभी इतना स्पष्ट होता है कि इरादे पर कोई संदेह नहीं छोड़ता है।एक आदमी एक पिस्तौल को दूसरे के सिर पर नहीं रख सकता था, जिसे वह जानता था कि उसे दूसरे के सिर पर लादा जा सकता है, और उसे गोली मार सकता था, उसे मारने के इरादे के बिना; लेकिन वहाँ भी पार्टी की मानसिक स्थिति पर विचार किया जाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।उदाहरण के लिए, यदि ऐसा कार्य जन्मजात मूर्ख द्वारा किया गया था, तो हत्या करने के इरादे का अनुमान इस कार्य से नहीं लगाया जा सकता था।इसलिए यदि प्रतिवादी नशे में साबित हो जाता है, तो सवाल अधिक सूक्ष्म हो जाता है; लेकिन यह उसी तरह का है, अर्थात्; क्या वह नशे से आरोपित इरादे को बनाने में पूरी तरह से असमर्थ था?"

ग

डी.

ई.

(बल दिया गया)

25. उपरोक्त निर्णय में सुझाए गए परीक्षण को ध्यान में रखते हुए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि हमारी विधायिका ने दो अलग-अलग शब्दावली 'आशय' और 'ज्ञान' का उपयोग किया है और शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किए गए कार्य के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है और इस ज्ञान के साथ किए गए कार्य के लिए कि उसके कार्य से ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे के बिना मृत्यु होने की संभावना है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, यह मानना उचित होगा कि 'आशय' और 'ज्ञान' को एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।वे अलग-अलग चीजों को इंगित करते हैं।कभी-कभी, यदि परिणाम इतना स्पष्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञान से, इरादे का अनुमान लगाया जा सके।लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि 'इरादा' और 'ज्ञान' एक ही हैं।'अपेक्षित आशय का निर्धारण या अनुमान लगाते समय 'ज्ञान' केवल उन परिस्थितियों में से एक होगी जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

च

जी.

एच.

1107

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

क.

26. इन रे कुडुमुला महानंदी रेड्डी मामले में, ए. आई. आर. 1960

एपी 141, 'ज्ञान' और 'इरादे' के बीच के अंतर को भी उचित रूप से समझाया गया है।यह निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"ज्ञान और इरादे को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

17. ... प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के प्राकृतिक और संभावित परिणामों का इरादा रखने के लिए माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है।इसलिए किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि अपराधी के इरादे से यह पता लगाया जाए कि उसके कृत्यों के स्वाभाविक और संभावित परिणाम क्या होंगे।एक बार जब इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि एक मृत व्यक्ति को ऐसी चोटें लगी हैं जो मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त थीं, तो यह माना जा सकता है कि उन्हें देने वाले व्यक्ति ने उन प्राकृतिक और संभावित परिणामों का इरादा किया था।उसका अपराध सेक के तीसरे शीर्ष के तहत आता है। 300 आई. पी. सी.

ग

18. ... एक आदमी के इरादे का अनुमान उसके कार्यों से लगाया जाना चाहिए।लेकिन ऐसे मामले हैं जिनमें मृत्यु हो जाती है और अपराधी पर सुरक्षित रूप से आरोप लगाने का इरादा कम गंभीर होता है।अपराध की मात्रा इरादे पर निर्भर करती है और अनुमान लगाने का इरादा साबित तथ्यों से एकत्र किया जाना चाहिए।कभी-कभी एक ऐसा कार्य किया जाता है जो एक सामान्य मामले में मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त चोट नहीं पहुंचाता है, लेकिन जिसे अपराधी जानता है कि मृत्यु का कारण बनने की संभावना है।इस तरह के ज्ञान का प्रमाण उसके इरादे पर प्रकाश डालता है।

डी.

ई.

19. ...सेक के तहत। 299 ज्ञान के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कि इच्छित शारीरिक चोट से मृत्यु होने की संभावना थी।यह तय करने से पहले कि गैर इरादतन हत्या का मामला हत्या के बराबर है, इसे Sec.300 के तहत लाने के लिए पर्याप्त इरादे का प्रमाण होना चाहिए।जहां जानबूझकर की गई चोट केवल 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना' से अधिक है, लेकिन प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तो उच्च स्तर के अपराध को माना जाता है। (बल दिया गया)

च

जी.

इसमें आगे निम्नलिखित रूप में देखा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“26. ... जहां साक्ष्य यह खुलासा नहीं करता है कि मृतक की मौत का कारण बनने का कोई इरादा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि अभियुक्त को पता था कि उनके कृत्य

एच.

मृत्यु का कारण बनने की संभावना होने पर अभियुक्त को धारा के दूसरे भाग के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। 304, आई. पी. सी. यह तर्क कि मामले को धारा के दूसरे भाग के तहत लाने के लिए। 304, आई. पी. सी. इसे धारा 300 के अपवादों में से एक के भीतर लाया जाना चाहिए, आई. पी. सी. स्वीकार्य नहीं है।” (जोर दें।

आपूर्ति की गई)

27. इस प्रकार, गैर इरादतन हत्या और हत्या के अपराध को परिभाषित करते हुए, आई. पी. सी. के निर्माताओं ने निर्धारित किया कि आरोपी को गैर इरादतन हत्या या हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए आवश्यक इरादे या जानकारी का आरोप लगाया जाना चाहिए जब उसने ऐसा कार्य किया जो मौत का कारण बना।आई. पी. सी. के निर्माताओं ने योजनाबद्ध रूप से दो शब्दों 'इरादा' और 'ज्ञान' का उपयोग किया, और यह माना जाना चाहिए कि निर्माताओं का इरादा इन दो अभिव्यक्तियों के बीच अंतर करना था।किसी कार्य को करने के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों का ज्ञान उसी इरादे के समान नहीं है कि इस तरह के परिणाम सामने आने चाहिए।सिवाय उन मामलों के जहां यह साबित करने के लिए पुरुष अधिकार की आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति को कुछ ज्ञान था, वह "इस बात से अवगत रहा होगा कि कुछ निर्दिष्ट हानिकारक परिणाम हैं।

ग

डी.

हो सकता है या हो सकता है।” **(** रसेल ऑन क्राइम**,** बारहवाँ संस्करण**,** पृष्ठ **40** पर खंड **1)**।

28. इस जागरूकता को ज्ञान कहा जाता है।लेकिन यह ज्ञान कि एक कार्य करने से निर्दिष्ट परिणाम होंगे या हो सकते हैं, इस इरादे के समान नहीं है कि इस तरह के परिणाम सामने आने चाहिए।यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि कुछ परिणाम सामने आ सकते हैं या आने वाले हैं, तो इसका जरूरी अर्थ यह नहीं है कि उसने ऐसे परिणामों का इरादा किया था और इस तरह के इरादे से काम किया था।इरादे के लिए परिणामों की केवल दूरदर्शिता से अधिक कुछ चाहिए होता है।इसके लिए किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करने की आवश्यकता होती है।हम इस विषय पर प्रमुख पाठ्य-पुस्तकों के दो अंशों का उल्लेख करके इसे स्पष्ट कर सकते हैं।केनी ने अपनी आपराधिक रूपरेखा में

ई.

च

कानून, पृष्ठ 31 पर सत्रहवें संस्करण में कहा गया हैः- “इरादा रखना एक वांछित उद्देश्य तक पहुँचने के लिए एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखना है; वर्तमान संबंध में संज्ञा 'इरादा' का उपयोग एक ऐसे व्यक्ति की मन की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है जो न केवल पूर्वाभास करता है बल्कि अपने conduct.It के संभावित परिणामों की इच्छा भी रखता है, यह ध्यान दिया जाएगा कि इरादा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दूरदर्शिता भी न हो, क्योंकि एक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के लिए निर्णय लेना चाहिए, और तदनुसार पूर्वाभास करना चाहिए, जिसके लिए उसका व्यक्त ए

जी.

एच.

1109

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

उद्देश्य निर्देशित होता है। फिर से, एक आदमी किसी काम को करने का इरादा नहीं रख सकता है जब तक कि वह उसे करने की इच्छा नहीं रखता है।"

(बल दिया गया)

29. अपराध पर रसेल, बारहवाँ संस्करण, पृष्ठ 41 पर पहला खंड

उन्होंने देखा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“अपराध में मानसिक तत्व के वर्तमान विश्लेषण में "इरादा" शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसने एक निश्चित परिणाम लाने का संकल्प लिया है यदि वह संभवतः ऐसा कर सकता है।वह अपने आचरण की रेखा को आकार देता है ताकि वह एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिस पर वह लक्ष्य रखता है। इरादे से अलग, फिर भी उससे निकटता से मिलता-जुलता, मन के दो अन्य दृष्टिकोण हैं, जिनमें से कोई भी इसके प्रोत्साहन के पालन में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप नुकसान के लिए कानूनी प्रतिबंधों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन दोनों को "लापरवाही" शब्द से दर्शाया जा सकता है।इनमें से प्रत्येक में मनुष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करने के इरादे से एक आचरण को अपनाता है जो वह चाहता है, लेकिन साथ ही यह भी महसूस करता है कि यह आचरण एक और परिणाम भी उत्पन्न कर सकता है जो वह नहीं चाहता है।इस मामले में वह पूरी जानकारी के साथ कार्य करता है कि वह यह मौका ले रहा है कि यह माध्यमिक परिणाम आएगा।यहाँ, फिर से, यदि यह द्वितीयक परिणाम कानून द्वारा निषिद्ध है, तो यदि ऐसा होता है तो वह इसके लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार होगा।उसका सटीक मानसिक रवैया दो प्रकारों में से एक होगा-(ए) वह पसंद करेगा कि हानिकारक परिणाम न हो, या (बी) वह इस बारे में उदासीन है कि ऐसा होता है या नहीं।
(बल दिया गया)

ग

डी.

ई.

30. आई. पी. सी. की धारा 299 और 300 के वाक्यांशों में कोई संदेह नहीं है कि इन धाराओं के तहत जब यह कहा जाता है कि कोई विशेष कार्य इस तरह के इरादे से दंडनीय होने के लिए किया जाना चाहिए, तो अभियोजन पक्ष द्वारा अपेक्षित इरादे को साबित किया जाना चाहिए।यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त का उद्देश्य या इच्छा थी कि उसका कार्य ऐसे और ऐसे परिणामों की ओर ले जाए।उदाहरण के लिए, जब धारा 299 के तहत यह कहा जाता है कि "जो कोई भी मौत का कारण बनने के इरादे से कोई कार्य करके मौत का कारण बनता है" तो यह साबित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने ऐसा कार्य करके विशेष परिणाम, यानी मौत का कारण बनने का इरादा किया था।इसी तरह, जब यह कहा जाता है कि "जो कोई भी ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से कोई कार्य करके मृत्यु का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना होती है" तो यह साबित होना चाहिए कि अभियुक्त का उद्देश्य ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी।

च

जी.

एच.

31. इस प्रकार, गैर-इरादतन हत्या के अपराध को साबित करने के लिए इरादे के संबंध में कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक है कि दो विशिष्ट इरादों में से किसी को भी साबित किया जाना चाहिए।लेकिन, जब ऐसा इरादा साबित नहीं होता है, तब भी अपराध गैर-इरादतन हत्या होगी यदि कार्य करने वाला इस ज्ञान के साथ मृत्यु का कारण बनता है कि वह अपने ऐसे कार्य से मृत्यु का कारण बन सकता है, यानी इस ज्ञान के साथ कि उसके कार्य करने का परिणाम ऐसा हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है।

32. इस मामले में जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमारा सावधानीपूर्वक ध्यान गया है, वह यह है कि क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों पर हमें धारा 304 भाग I के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखना चाहिए या हमें इसे आईपीसी की धारा 304 भाग II में बदल देना चाहिए?

ग

आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **299** और **300:- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

33. आई. पी. सी. की धारा 299 और 300 क्रमशः 'गैर इरादतन हत्या' और 'हत्या' की परिभाषा से संबंधित हैं।धारा 299 के संदर्भ में, 'गैर-इरादतन हत्या' को मृत्यु का कारण बनने के कार्य के रूप में वर्णित किया गया है (i) मृत्यु का कारण बनने के इरादे से या (ii) ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनने के इरादे से जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या (iii) इस ज्ञान के साथ कि इस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।जैसा कि इस प्रावधान के पढ़ने से स्पष्ट है, इसका पहला भाग 'इरादे' अभिव्यक्ति पर जोर देता है जबकि दूसरा 'ज्ञान' पर जोर देता है।हालाँकि, ये दोनों सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण हैं, जो अलग-अलग स्तरों के हैं।'दोषपूर्ण हत्या' में मानसिक तत्व, यानी आचरण के परिणामों के प्रति मानसिक दृष्टिकोण इरादे और ज्ञान का एक तत्व है।एक बार जब ऊपर उल्लिखित तीन में से किसी भी तरीके से कोई अपराध किया जाता है, तो यह 'गैर-इरादतन हत्या' होगी।हालाँकि, आई. पी. सी. की धारा 300 'हत्या' से संबंधित है, हालाँकि आई. पी. सी. की धारा 300 में 'हत्या' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार कहा गया है, 'गैर-इरादतन हत्या' वंश है और 'हत्या' इसकी प्रजाति है और सभी 'हत्याएं' 'गैर-इरादतन हत्याएं' हैं लेकिन सभी 'गैर-इरादतन हत्याएं' 'हत्याएं' नहीं हैं।(रामपाल सिंह बनाम यू. पी. राज्य देखें।, (2012) 8 एससीसी 289)

डी.

ई.

च

जी.

34. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु के मामले में

पुन्नय्या**, (1976) 4** एस**.** सी**.** सी**. 382,** इस न्यायालय ने इन दो शब्दों और उनके परिणामों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

"12. दंड संहिता की योजना में, 'गैर इरादतन हत्या' जीनस है और 'हत्या' प्रजाति है।सभी 'हत्या' 'दोषी ए' है।

एच.

1111

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

हत्या 'लेकिन इसके विपरीत नहीं।आम तौर पर, 'गैर इरादतन हत्या' हत्या के बराबर नहीं है।इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, संहिता व्यावहारिक रूप से गैर-इरादतन हत्या के तीन स्तरों को मान्यता देती है। पहला वह है जिसे 'प्रथम श्रेणी की गैर इरादतन हत्या' कहा जा सकता है।यह गैर इरादतन हत्या का सबसे बड़ा रूप है, जिसे धारा 300 में 'हत्या' के रूप में परिभाषित किया गया है।दूसरे को 'दूसरे दर्जे की गैर इरादतन हत्या' कहा जा सकता है।यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है।फिर, 'थर्ड डिग्री की गैर-इरादतन हत्या' होती है।यह सबसे कम प्रकार की गैर-इरादतन हत्या है और इसके लिए प्रदान की गई सजा भी तीन श्रेणियों के लिए प्रदान की गई सजाओं में सबसे कम है।इस स्तर की दंडनीय हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।"

ग

(जोर दिया गया) 35।आई. पी. सी. की धारा 300 आई. पी. सी. की धारा 299 के संदर्भ में आगे बढ़ती है। आई. पी. सी. की धारा 300 के संदर्भ में 'दंडनीय हत्या' 'हत्या' हो भी सकती है और नहीं भी। जब 'गैर इरादतन हत्या' हत्या होती है, तो दंडात्मक परिणाम आई. पी. सी. की धारा 302 के संदर्भ में होंगे, जबकि अन्य मामलों में, यानी जहां कोई अपराध 'गैर इरादतन हत्या' है, तो आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत सजा दी जाएगी। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में उन मामलों पर विचार किया गया है जो आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के विभिन्न वर्गों में आते हैं। हमारे लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि हम मामले के उस पहलू को और विस्तार से देखें।

डी.

ई.

च

36. विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465 के मामले में बताए गए सिद्धांत अदालतों के लिए व्यापक दिशानिर्देश हैं कि वे आई. पी. सी. की धारा 300 के किस विशेष खंड में आते हैं, यह निर्धारित करने के लिए मामलों पर विचार करते समय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करें।इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 299 और 300 के बीच अंतर के महत्वपूर्ण प्रश्न पर बार-बार विचार-विमर्श किया है, अर्थात क्रमशः 'गैर-इरादतन हत्या' और 'हत्या'।फुलिया टुडू बनाम बिहार राज्य, (2007) 14 एस. सी. सी. 588 में, इस न्यायालय ने ध्यान दिया कि यदि न्यायालय इन धाराओं में विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के सही दायरे और अर्थ की दृष्टि खो देंगे तो भ्रम पैदा हो सकता है।इस न्यायालय ने कहा कि

जी.

इन प्रावधानों की व्याख्या और उनके अनुप्रयोग के लिए दृष्टिकोण का सबसे सुरक्षित तरीका इन खंडों के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता है।

37. फुलिया टुडू (ऊपर) मामले में इस अदालत ने कहा है कि 'हत्या' और 'गैर इरादतन हत्या' के बीच अकादमिक अंतर ने हमेशा अदालतों को परेशान किया है।यह भ्रम तब पैदा होता है जब अदालतें इन धाराओं में विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के सही दायरे और अर्थ की दृष्टि खो देती हैं, और खुद को सूक्ष्म अमूर्तता में शामिल होने की अनुमति देती हैं।इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए दृष्टिकोण का सबसे सुरक्षित तरीका आई. पी. सी. की धारा 299 और 300 के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए मुख्य शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना प्रतीत होता है। निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका दोनों अपराधों के बीच अंतर के बिंदुओं को समझने में सहायक होगीः- ए.

ग

धारा 299	धारा 300
एक व्यक्ति गैर-इरादतन हत्या करता है यदि वह कार्य किया जाता है जिससे मृत्यु होती है -	कुछ अपवादों के अधीन गैर-इरादतन हत्या हत्या है यदि वह कार्य किया जाता है जिससे मृत्यु होती है -
इरादा	
((क) मृत्यु करने के इरादे से; या (ख) ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो; या	(1) मृत्यु करने के इरादे से; या (2) ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से जो अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है जिसे नुकसान पहुँचाया गया है; या (3) किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से और शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु

	का कारण बनने के लिए पर्याप्त है; या
ज्ञान	
(ग) इस ज्ञान के साथ कि इस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।	(4) इस ज्ञान के साथ कि यह कार्य इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और मृत्यु या ऐसी चोट के जोखिम के लिए बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य करता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1113

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

38. आई. पी. सी. की धारा 299 का खंड (बी) आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (2) और (3) से मेल खाता है। खंड (2) के तहत अपेक्षित पुरुष कारण की विशिष्ट विशेषता यह है कि अपराधी के पास विशेष रूप से पीड़ित के ऐसी विशिष्ट स्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति में होने के बारे में ज्ञान है कि उसे होने वाली आंतरिक क्षति घातक होने की संभावना है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी हानि सामान्य स्वास्थ्य या स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।यह उल्लेखनीय है कि 'मृत्यु का कारण बनने का इरादा' खंड (2) की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।हत्या को इस खंड के दायरे में लाने के लिए केवल शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा और विशेष पीड़ित की मृत्यु के कारण ऐसी चोट लगने की संभावना के बारे में अपराधी की जानकारी ही पर्याप्त है।यह खंड (2) आई. पी. सी. की धारा 300 में संलग्न चित्रण (बी) द्वारा पुष्ट किया गया है।

ग

39. आई. पी. सी. की धारा 299 का खंड (बी) अपराधी की ओर से ऐसी किसी भी जानकारी को स्वीकार नहीं करता है।आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (2) के तहत आने वाले मामलों के उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जहां हमलावर जानबूझकर एक मुट्ठी के प्रहार से मौत का कारण बनता है, यह जानते हुए कि पीड़ित एक बढ़े हुए यकृत, या बढ़े हुए प्लीहा या रोगग्रस्त हृदय से पीड़ित है और इस तरह के प्रहार के परिणामस्वरूप उस विशेष व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है; यकृत के टूटने, या प्लीहा

या हृदय की विफलता, जैसा भी मामला हो।यदि हमलावर को पीड़ित की बीमारी या विशेष कमजोरी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, और न ही मृत्यु या शारीरिक चोट का कारण बनने का इरादा था, जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकता है, तो अपराध हत्या नहीं होगा, भले ही वह चोट जो मौत का कारण बनी, जानबूझकर दी गई हो।आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (3) में आई. पी. सी. की धारा 299 के संबंधित खंड (बी) में आने वाले "मृत्यु का कारण बनने की संभावना" शब्दों के बजाय "प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त" शब्दों का उपयोग किया गया है।जाहिर है, अंतर मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट और मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त शारीरिक चोट के बीच है।यह भेद ठीक है लेकिन वास्तविक है और यदि इसकी अनदेखी की जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है।आई. पी. सी. की धारा 299 के खंड (बी) और आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (3) के बीच का अंतर इच्छित शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु की संभावना की डिग्री में से एक है।इसे अधिक व्यापक रूप से रखने के लिए, यह मृत्यु की संभावना की डिग्री है जो यह निर्धारित करती है कि क्या एक गैर-इरादतन हत्या गंभीर, मध्यम या निम्नतम डिग्री की है।आई. पी. सी. की धारा 299 के खंड (बी) में 'संभावित' शब्द संभावित की भावना को केवल एक संभावना से अलग बताता है।शब्द "शारीरिक"

डी.

ई.

च

जी.

एच.

injury.sufficient प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने का मतलब है कि प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मृत्यु चोट का "सबसे संभावित" परिणाम होगा।

40. खंड (3) के भीतर आने वाले मामलों के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा मृत्यु का कारण बनना हो, जब तक कि मृत्यु जानबूझकर शारीरिक चोट या चोटों से होती है जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनती हैं। राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1874 के मामले में निर्णय इस बिंदु का एक उपयुक्त उदाहरण है।

41. आई. पी. सी. की धारा 300 के तीसरे खंड का दायरा इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों का विषय रहा है।विरसा सिंह (ऊपर) के फैसले का इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में पालन किया गया है।इन सभी मामलों में यह पता लगाने का तरीका रहा है कि क्या विशेष चोट का कारण बनने का इरादा मौजूद था या नहीं?यदि उस विशेष चोट का कारण बनने का ऐसा इरादा बनाया जाता है और यदि चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाई जाती है, तो आई. पी. सी. की धारा 300 का तीसरा खंड आकर्षित होता है।खंड तीसरा का विश्लेषण करते हुए और अभियोजन पक्ष को क्या साबित करना चाहिए, यह विरसा सिंह (ऊपर) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“15. सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्ष रूप से स्थापित करना चाहिए कि एक शारीरिक चोट मौजूद है।

ई.

16. दूसरा, चोट की प्रकृति को साबित किया जाना चाहिए; ये विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ जांच हैं।

17. तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुँचाने का इरादा था, अर्थात, कि यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था, या कि किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था।

च

18. एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ती है और,

19. चौथा, यह साबित किया जाना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी वर्णित प्रकार की चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।जाँच का यह भाग विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण और अनुमानित है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है।"

जी.

(बल दिया गया)

एच.

1115

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

क.

इसे आगे इस प्रकार देखा गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“20. ... यदि वे उस प्रकार की चोट पहुँचाते हैं, तो उन्हें परिणामों का सामना करना पड़ता है; और वे केवल तभी बच सकते हैं जब यह दिखाया जा सके, या उचित रूप से अनुमान लगाया जा सके कि चोट आकस्मिक या अन्यथा अनजाने में थी।"

(जोर दिया गया) 42।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि खंड तीसरा का घटक मृत्यु का कारण बनने का इरादा नहीं है, बल्कि दूसरी ओर साबित किया जाने वाला घटक उस विशेष क्षति का कारण बनने का इरादा है जो मौजूद थी।यह तर्क देना गलत है कि जहां भी एक भी चोट होती है, अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना केवल गैर-इरादतन हत्या का मामला बनाया जाता है।

ग

सम्राट बनाम सरदारखान जरीदखान, ए. आई. आर. 1916 बम 191 में, यह था

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“जहाँ मृत्यु एक ही प्रहार के कारण होती है, वहाँ यह सुनिश्चित करना हमेशा अधिक कठिन होता है कि अपराधी किस हद तक शारीरिक चोट पहुँचाना चाहता था।"

डी.

(जोर दिया गया) 43।बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपरोक्त अवलोकन पर टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति बोस ने विरसा सिंह (उपरोक्त) मामले में इस प्रकार निर्णय दियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“23. ... विद्वान न्यायाधीश के प्रति उचित सम्मान के साथ उन्होंने आवश्यक इरादे को चोट की गंभीरता के साथ जोड़ा है, और जैसा कि हमने दिखाया है, वह धारा की आवश्यकता नहीं है।दोनों मामले काफी अलग और अलग हैं, हालांकि उनके बारे में सबूत कभी-कभी ओवरलैप हो सकते हैं।"

ई.

44. इस बारे में कि एकल चोट के मामले में भी इरादे का अनुमान कैसे लगाया जाए, न्यायमूर्ति बोस ने आगे कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

"23. ... सवाल यह नहीं है कि कैदी का इरादा गंभीर चोट पहुँचाना था या मामूली, बल्कि यह है कि क्या वह उस चोट को पहुँचाना चाहता था जो मौजूद साबित हुई है।यदि वह दिखा सकता है कि उसने ऐसा नहीं किया, या यदि परिस्थितियों की समग्रता इस तरह के निष्कर्ष को उचित ठहराती है, तो निश्चित रूप से, धारा के लिए आवश्यक इरादा साबित नहीं होता है। लेकिन यदि चोट और इस तथ्य के अलावा कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने इसे लगाया है, तो एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि वह इसे देने का इरादा रखता था।क्या वह इसकी गंभीरता को जानते थे,

जी.

एच.

या इच्छित गंभीर परिणाम न तो यहाँ हैं और न ही वहाँ हैं।जहाँ तक इरादे का संबंध है, सवाल यह नहीं है कि क्या वह मारने का इरादा रखता था, या किसी विशेष स्तर की गंभीरता से चोट पहुँचाने का इरादा रखता था, बल्कि यह है कि क्या वह प्रश्न में चोट पहुँचाने का इरादा रखता था; और एक बार चोट का अस्तित्व साबित हो जाने के बाद इसका कारण बनने का इरादा तब तक माना जाएगा जब तक कि सबूत या परिस्थितियाँ एक विपरीत निष्कर्ष की गारंटी नहीं देती हैं।लेकिन इरादा है या नहीं, यह एक तथ्य है और कानून का नहीं।क्या घाव गंभीर है या अन्यथा, और यदि गंभीर है, तो कितना गंभीर है, यह पूरी तरह से अलग और स्पष्ट सवाल है और इसका इस सवाल से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या कैदी का प्रश्न में चोट पहुँचाने का इरादा था।

ग

24. यह सच है कि किसी मामले में जांच को चोट की गंभीरता से जोड़ा जा सकता है।उदाहरण के लिए, यदि यह साबित किया जा सकता है, या यदि परिस्थितियों की समग्रता एक निष्कर्ष को सही ठहराती है, कि कैदी का केवल एक सतही खरोंच का इरादा था और संयोग से उसका शिकार लड़खड़ाया और इस्तेमाल की गई तलवार या भाले पर गिर गया, तो निश्चित रूप से अपराध हत्या नहीं है।लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कैदी का इरादा उस चोट को पहुँचाने का नहीं था जिसे वह गंभीर रूप से पहुँचाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह उस चोट को पहुँचाना नहीं चाहता था।ऐसे मामले में उनका इरादा पूरी तरह से अलग चोट पहुँचाना होगा।अंतर एक कानून का नहीं बल्कि एक तथ्य का है।..."

डी.

ई.

(जोर दिया गया) 45।न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई और न्यायमूर्ति ए. पी. सेन की इस न्यायालय की पीठ द्वारा इस प्रश्न पर फिर से जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1981) 3 एस. सी. सी. 616 में विचार किया गया और विरसा सिंह (ऊपर) में निर्धारित अनुपात का पालन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

"6. इस दावे का कोई औचित्य नहीं है कि मृत्यु के परिणामस्वरूप शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर एक एकल प्रहार देने से हमेशा अपराध को गैर-इरादतन हत्या के रूप में कम किया जाना चाहिए जो संहिता की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय हत्या के बराबर नहीं है।यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे के सिर पर लकड़ी के भारी लट्ठ या लोहे की छड़ या लाठी से भी मारता है ताकि खोपड़ी टूट जाए, तो उसे इस धारणा को नकारने वाली किसी भी परिस्थिति के अभाव में ए होना चाहिए।

जी.

माना जाता है कि पीड़ित की मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा था जो मृत्यु पहुँचाने के लिए पर्याप्त हो।पूरी बात मृत्यु का कारण बनने के इरादे पर निर्भर करती है, और मामला या तो खंड प्रथम या खंड तृतीय द्वारा कवर किया जा सकता है। इरादे की प्रकृति को उपयोग किए गए हथियार के प्रकार, शरीर के हिस्से पर प्रहार, नियोजित बल की मात्रा और मृत्यु पर परिचर परिस्थितियों से एकत्र किया जाना चाहिए।"

जगरूप सिंह (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़ता से भरोसा किया है।

46. हालाँकि, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जगरूप सिंह (उपरोक्त) के मामले में ऊपर उल्लिखित पैरा 6 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करने की कोशिश नहीं की।विद्वान वरिष्ठ वकील ने उन टिप्पणियों पर भरोसा किया जिनका हम इसके बाद उल्लेख करेंगे, लेकिन जगरूप सिंह (उपरोक्त) के मामले में कुछ तथ्यात्मक पृष्ठभूमि देने के बाद।दुर्भाग्यपूर्ण शाम को एक तेज कौर की शादी की गई।इसके तुरंत बाद, अपीलकर्ता जगरूप सिंह एक गांधे से लैस था, उसके भाई बिल्लौर सिंह एक गांडे से लैस थे और जरमेल सिंह और वरयाम सिंह लाठियों से लैस थे और अचानक सामने आए और मृतक चनन सिंह और तीन चश्मदीद गवाहों, गुरदेव सिंह, पीडब्लू 10, सुखदेव सिंह, पीडब्लू 11 और माखन सिंह, पीडब्लू 12 पर संयुक्त हमला किया।मृतक को तीन चश्मदीद गवाहों के साथ ग्रामीण औषधालय, रोरी ले जाया गया, जहाँ शाम 6 बजे डॉ. बिश्नोई, पीडब्लू 3 द्वारा उनकी जाँच की गई, जिन्होंने पाया कि मृतक के दाहिने पार्श्व क्षेत्र में 9 सेमी × 11/2 सेमी हड्डी का घाव था, जो दाहिने पिन्ना की नोक से 9 सेमी दूर था; घाव के किनारे लाल, अनियमित थे और स्पर्श करने पर खून बह रहा था; घाव की दिशा पूर्ववर्ती-पश्चवर्ती थी।मृतक ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने निचली अदालत के समक्ष गवाही दी कि मृतक की मृत्यु सिर की चोट के परिणामस्वरूप मस्तिष्क संपीड़न के कारण हुई थी जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।इस मामले की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

च

जी.

“14. ... हमारे फैसले में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह अधिक संभावना थी कि अपीलकर्ता जगरूप सिंह भी विवाह में संपार्श्विक के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसके परिणामस्वरूप जगरूप सिंह ने मृतक चनन सिंह के व्यक्ति को चोट पहुंचाई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

संहिता की धारा 300 के खंड तृतीय को लागू करने में त्रुटि हुई।इस निष्कर्ष पर कि जब अपीलार्थी ने मृतक को पल की गर्मी में, बिना पूर्व-ध्यान के और अचानक लड़ाई में गांधे के कुंद पक्ष से मारा, तो मामला धारा 4 से धारा 300 के अपवाद में शामिल था।यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि अपीलार्थी ने स्थिति का अनुचित लाभ उठाया था या क्रूर या असामान्य तरीके से काम

किया था।इस प्रकार, अपवाद 4 की सभी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से पूरा किया जाता है।ऐसा होने पर, अपीलार्थी जगरूप सिंह को संहिता की धारा302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

15. इसलिए, परिणाम यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग 2 के तहत अपीलार्थी की धारा 30 के तहत दोषसिद्धि को एक में बदल दिया जाता है।परिवर्तित दोषसिद्धि के लिए, अपीलार्थी को सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।"

ग

(जोर दिया गया) हमने इस न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों में कुछ देखा है जो, हमारी राय में, कुछ भ्रम पैदा करता है।हमें इस न्यायालय के कई अन्य फैसलों में इस तरह की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है और इसके अलावा जगरूप सिंह (उपरोक्त) के मामले में भी।हम जिस बात को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि जगरूप सिंह (उपरोक्त) में, हालांकि इस न्यायालय ने दोषसिद्धि को धारा 302 से धारा 304 भाग 2 में बदल दिया, लेकिन उसने आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 का आश्रय लिया। सवाल यह है कि क्या अदालत को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 में दोषसिद्धि को बदलने के उद्देश्य से आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 का सहारा लेने की कोई आवश्यकता थी। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आई. पी. सी. की धारा 304 के दो भागों के बीच अच्छा अंतर है। पहले भाग के तहत, हत्या का अपराध पहले स्थापित किया जाता है और फिर आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी भी स्थापित नहीं होता है।इसलिए, किसी अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के उद्देश्य से, अभियुक्त को अपने मामले को आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है।

डी.

ई.

च

जी.

47. जवाहर लाल बनाम पंजाब राज्य, (1983) 4 एस. सी. सी. 159 में भी

अभियुक्त ने मृतक को उसकी छाती के बाईं ओर चाकू से मारा और शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त पाई गईं।इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ए

एच.

1119

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

अभियुक्त को इस जानकारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उसे चोट लगने की संभावना थी जिससे मृत्यु होने की संभावना थी।उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“17.....जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए हमें इस मुद्दे पर और विस्तार नहीं करना चाहिएः1981 क्री एलजे 1136।उस मामले में साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर गंधाले के कुंद पक्ष से एक प्रहार किया और यह चोट घातक साबित हुई।इसके बाद न्यायालय अपराध की प्रकृति की जांच करने के लिए आगे बढ़ा क्योंकि मामले में अपीलार्थी को धारा 303 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।निस्संदेह, इस न्यायालय ने कहा कि इस दावे का कोई औचित्य नहीं है कि शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर एकल प्रहार करने के परिणामस्वरूप मृत्यु हमेशा अपराध को गैर-इरादतन हत्या के रूप में कम करना चाहिए जो संहिता की धारा 304, भाग II के तहत दंडनीय हत्या के बराबर नहीं है।इसके बाद अदालत ने अपराध की प्रकृति का न्याय करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े।इसे निकाला जा सकता है;

ग

डी.

पूरी बात मृत्यु का कारण बनने के इरादे पर निर्भर करती है, और मामला खंड प्रथम या खंड तृतीय द्वारा कवर किया जा सकता है।इरादे की प्रकृति को उपयोग किए गए हथियार के प्रकार, शरीर के हिस्से पर प्रहार, नियोजित बल की मात्रा और मृत्यु पर परिस्थिति परिचारक से एकत्र किया जाना चाहिए।

ई.

18. हम यह इंगित कर सकते हैं कि बाद में 18 सितंबर, 1981 को रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य निर्णय और 7 अगस्त, 1981 को कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य निर्णय (1981 की आपराधिक अपील संख्या 630) में जगरूप सिंह के मामले 1981 में निर्णय का पालन किया गया था।

च

19. इस मानदंड को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि प्रथम अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध धारा 300 के पैरा 3 के खंड 3 के अंतर्गत नहीं आएगा और इसलिए, धारा 302, आई. पी. सी. के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

जी.

20. तब प्रथम अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध क्या है?प्रथम अपीलार्थी की आयु को देखते हुए

एच.

घटना, उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, जिन परिस्थितियों में एक प्रहार किया गया था, उस दिन का समय जब घटना हुई थी और अन्य परिस्थितियों की समग्रता, अर्थात्, पक्षों के बीच पिछले तुच्छ विवाद, हमारी राय है कि प्रथम अपीलार्थी को इस ज्ञान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि वह एक चोट का कारण बन सकता था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी। तदनुसार, प्रथम अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग 2 के तहत अपराध करते हुए दिखाया गया है और उसे उसी के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए और जुर्माने की सजा को बनाए रखते हुए पांच साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए।"

ग

48. कैमिलो वाज बनाम गोवा राज्य [(2000) 9 एस. सी. सी. 1:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1128] अभियुक्त ने पूर्व नियोजित सामूहिक लड़ाई के दौरान मृतक को डंडे से मारा था, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मौत हो गई थी।निचली अदालत और बॉम्बे उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया। हालाँकि, इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत दोषसिद्धि को एक में परिवर्तित कर दिया और कहाः- (एस. सी. सी. पी. 9, पैरा 14)

डी.

“14. ... जब कोई व्यक्ति शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर दूसरे को इस तरह से डंडा मारता है कि मारा गया व्यक्ति उसकी मृत्यु का सामना करता है, तो आरोपी को ज्ञान देना पड़ता है।उस स्थिति में मामला वर्तमान मामले की तरह आई. पी. सी. की धारा 304 के भाग 2 में आएगा।"

ई.

(बल दिया गया)

49. जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1991) 2 एस. सी. सी. 32,

इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों की विस्तृत समीक्षा के बाद, विशेष रूप से, विरसा सिंह के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों का निष्कर्ष इस प्रकार निकालाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

"18. इन सभी मामलों में, एक ही प्रहार से होने वाली चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाई गई।उच्चतम न्यायालय ने केवल मन की स्थिति का आकलन करने के लिए ऊपर उल्लिखित अचानक झगड़े, कुश्ती आदि जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखा, अर्थात् क्या अभियुक्त का उस विशेष चोट का कारण बनने का आवश्यक इरादा था, अर्थात यह कहना कि वह स्पष्ट रूप से चाहता था कि ऐसी चोट केवल परिणाम होनी चाहिए।इन सभी मामलों में यह माना जाता है कि उस विशेष चोट का कारण बनने का ऐसा कोई इरादा नहीं था क्योंकि उन परिस्थितियों में अभियुक्त को मुश्किल से पता चल सकता था।

जी.

एच.

1121

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

क.

केवल परिणामों की जानकारी थी।ये परिस्थितियाँ जिनके तहत अपीलार्थी को चोट लगी है, उन्हें महसूस किया जाता है या कम से कम एक संदेह पैदा होता है कि उसकी सभी मानसिक क्षमताओं को विशेष परिणाम प्राप्त करने के इरादे के रूप में नहीं उठाया जा सकता था।हम यह इंगित कर सकते हैं कि हम मृत्यु का कारण बनने के इरादे से चिंतित नहीं हैं, इस मामले में यह एक हत्या सरलीकरण होगा जब तक कि अपवाद आकर्षित न हो।हम खंड 3 के तहत उस विशेष चोट का कारण बनने के इरादे से चिंतित हैं जो एक व्यक्तिपरक जांच है और जब एक बार ऐसा इरादा स्थापित हो जाता है और यदि इच्छित चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाई जाती है, तो खंड 3 आकर्षित होता है और यह हत्या होगी, जब तक कि धारा 300 के अपवादों में से एक आकर्षित न हो।यदि दूसरी ओर 'इरादे' का यह घटक स्थापित नहीं होता है या यदि इस संबंध में कोई उचित संदेह उत्पन्न होता है, तो केवल यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि खंड 3 आकर्षित नहीं है और यह कि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि चोट पहुँचाने से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी, जिस मामले में यह आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दंडनीय गैर-इरादतन हत्या होगी।

ग

डी.

(जोर दिया गया) 50।राजवंत सिंह (उपरोक्त) के मामले में, आई. पी. सी. की धारा 300 के प्रासंगिक खंडों का उल्लेख करने के बाद, निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"10. ... इस प्रकार मानसिक दृष्टिकोण दो तत्वों से बना है (ए) जानबूझकर चोट पहुँचाना और (बी) अपराधी को यह जानने की दूरदर्शिता है कि कौन सी चोट मृत्यु का कारण बनेगी।11. ... खंड तीन के अनुप्रयोग के लिए पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि चोट लगी है, इसके बाद यह वस्तुनिष्ठ रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में उस चोट की प्रकृति क्या है।यदि चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाई जाती है, तो एक परीक्षण संतुष्ट होता है।फिर यह साबित किया जाना चाहिए कि उसी चोट को पहुँचाने का इरादा था न कि कोई अन्य चोट और यह कि यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था।यदि यह भी अपराधी के खिलाफ माना जाता है तो हत्या का अपराध स्थापित हो जाता है।"

च

जी.

(बल दिया गया)

एच.

51. आंडा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, ए. आई. आर. 1966 एस. सी.

148, क्रमशः दो प्रासंगिक धाराओं 299 और 300 का शानदार विश्लेषण किया गया है और प्रासंगिक टिप्पणियों को पैरा 7 में पृष्ठ 151 पर किया गया है।उन टिप्पणियों का उल्लेख करने से पहले, हम पहले की गई कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करेंगे।वे इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"गैर-इरादतन हत्या के अपराध में (ए) मृत्यु का कारण बनने के इरादे से, या (बी) ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनने के इरादे से जो मृत्यु का कारण बनने की संभावना है या (सी) इस ज्ञान के साथ कि इस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, एक कार्य (जिसमें अवैध चूक शामिल है) करना शामिल है।यदि मृत्यु इन तीन परिस्थितियों में से किसी में भी हुई है, तो गैर-इरादतन हत्या का अपराध किया गया है।अनुभाग के अवयवों में इरादा और ज्ञान एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और यह मानसिक स्थिति अपराध के लिए आवश्यक विशेष पुरुष कारण है।पहली दो स्थितियों में दोषी इरादे से नुकसान पहुँचाए गए व्यक्ति की इच्छित मृत्यु या जानबूझकर चोट पहुँचाने से उसकी मृत्यु होने की संभावना है।तीसरी स्थिति में ज्ञान व्यक्ति की मृत्यु के ज्ञान पर विचार करता है।सेक. 300 हमें बताता है कि अपराध कब हत्या है और कब यह गैर इरादतन हत्या है जो हत्या के बराबर नहीं है।सेक. 300 उन परिस्थितियों को निर्धारित करने से शुरू होता है जब गैर-इरादतन हत्या हत्या में बदल जाती है जो धारा 300 के तहत दंडनीय है। 302 और उसी धारा के अपवाद हमें बताते हैं कि कब अपराध हत्या नहीं है, बल्कि गैर-इरादतन हत्या है जो धारा के तहत दंडनीय हत्या नहीं है।304. हत्या गैर-इरादतन हत्या का एक गंभीर रूप है।चार स्थितियों में से एक का अस्तित्व गैर इरादतन हत्या को हत्या में बदल देता है जबकि विशेष अपवाद फिर से हत्या के अपराध को गैर इरादतन हत्या में बदल देते हैं जो हत्या के बराबर नहीं है।
(बल दिया गया)

ग

डी.

ई.

च

52. अब हम पृष्ठ 151 पर पैरा 10 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों का उल्लेख करेंगे।वे इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

"तीसरा खंड इस मामले को सामान्य दृष्टिकोण से देखता है।यह शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे की बात करता है जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।यहाँ ए में चोट की पर्याप्तता पर जोर दिया गया है।

एच.

मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति का सामान्य मार्ग।पर्याप्तता प्रकृति के सामान्य तरीके से मृत्यु की उच्च संभावना है और जब यह मौजूद होती है और मृत्यु होती है और इस तरह की चोट का कारण बनने का इरादा होता है तो अपराध हत्या है।कभी इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, कभी शरीर का वह हिस्सा जिस पर चोट लगी है, और कभी-कभी दोनों प्रासंगिक होते हैं।निर्धारक कारक जानबूझकर की गई चोट है जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, अर्थात, मृत्यु की संभावना इतनी अधिक नहीं है, अपराध हत्या के दायरे में नहीं आता है, बल्कि गैर इरादतन हत्या के दायरे में आता है जो हत्या या कुछ कम नहीं है।खंड 3 के साथ जोड़ा गया चित्रण इस प्रकार हैः

ग

‘(ग) ए जानबूझकर जेड को एक तलवार-कट या क्लब-घाव देता है जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में एक आदमी की मौत का कारण बनता है।Z परिणामस्वरूप मर जाता है।यहाँ ए हत्या का दोषी है, हालाँकि उसका इरादा जेड की मौत का कारण बनने का नहीं हो सकता है।’ प्रकृति के सामान्य तरीके से मौत का कारण बनने के लिए जानबूझकर चोट की पर्याप्तता खंड का सार है, चाहे मृत्यु का कारण बनने का इरादा कुछ भी हो।यहाँ फिर से, अपवाद अपराध को गैर-इरादतन हत्या में बदल सकते हैं जो हत्या के बराबर नहीं है।
(बल दिया गया)

डी.

53. विनीत कुमार चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2007) में यह न्यायालय

ई.

14 एस. सी. सी. 660 ने देखा कि 'हत्या' और 'गैर इरादतन हत्या' के बीच अकादमिक अंतर को स्पष्ट रूप से लाया गया था

ए. पी. बनाम राज्य में इस न्यायालय द्वारारायवरपु पुन्नय्या, (1976) 4

एस. सी. सी. 382, जहाँ इसे निम्नानुसार देखा गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“...कि संहिता की धारा 299 और 300 की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए दृष्टिकोण का सबसे सुरक्षित तरीका उक्त धाराओं के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए प्रमुख शब्दों को ध्यान में रखना है।संहिता की धारा 299 और 300 के प्रत्येक खंड और विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465:1958 सी. आर. आई. एल. जे. 818) और राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य (ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1874:1966 सी. आर. आई. एल. जे. 1509) में अदालत के फैसलों से प्राप्त समर्थन की बारीकी से तुलना करते हुए, अदालत की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया ने दोनों अपराधों के बीच अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट रूप से सामने लाया, जिन्हें बार-बार दोहराया गया है।ऐसा करने के बाद अदालत ने कहा कि जहां भी अदालत का सामना इस सवाल से होता है

च

जी.

एच.

चाहे अपराध हत्या हो या गैर इरादतन हत्या, किसी मामले के तथ्यों के आधार पर, उसके लिए तीन चरणों में समस्या का समाधान करना सुविधाजनक होगा।पहले चरण में जिस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए वह यह होगा कि अभियुक्त ने एक ऐसा कार्य किया है जिससे वह दूसरे की मृत्यु का कारण बना है।दो, यदि अभियुक्त के कार्य और मृत्यु के बीच ऐसा कारणात्मक संबंध है, तो यह विचार करने के लिए दूसरे चरण की ओर ले जाता है कि क्या अभियुक्त का वह कार्य धारा 299 में परिभाषित गैर-

इरादतन हत्या के बराबर है।यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो अपराध गैर-इरादतन हत्या होगी, जो धारा 304 के पहले या दूसरे भाग के तहत दंडनीय है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि धारा 299 का यह दूसरा या तीसरा खंड लागू होता है या नहीं।यदि यह प्रश्न सकारात्मक में पाया जाता है, लेकिन मामले धारा 300 में गिने गए किसी भी अपवाद के भीतर आते हैं, तो अपराध फिर भी गैर-इरादतन हत्या होगी, जो संहिता की धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है।हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया था कि ये केवल अदालत के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश थे, न कि कास्ट-आयरन अनिवार्य।
(बल दिया गया)

ग

डी.

54. थोलन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में ए. आई. आर. 1984 एस. सी.

759,अभियुक्त मृतक के घर के सामने खड़ा था और मृतक से असंबद्ध कुछ व्यक्तियों के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल करता था।मृतक अपने घर से बाहर आया और आरोपी से कहा कि उसे महिलाओं के सामने अश्लील और गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उसे जाने के लिए कहा।अभियुक्त ने मृतक के उस स्थान को छोड़ने के अधिकार पर सवाल उठाया।इसके बाद हुए विवाद में, आरोपी ने चाकू से एक वार किया जो मृतक की (दाहिनी) छाती पर गिरा जो घातक साबित हुआ।यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियुक्त को धारा 307 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। इस न्यायालय के साथ जिन परिस्थितियों का संबंध था वे थीं:(i) अभियुक्त और मृतक के बीच कोई संबंध नहीं था और घटना के समय मृतक की उपस्थिति पूरी तरह से आकस्मिक थी; (ii) मृतक के साथ बहस पल भर के लिए थी और आरोपी ने मृतक द्वारा उसे जगह छोड़ने के लिए कहे जाने से क्रोधित होकर एक भी प्रहार किया; (iii) अपेक्षित इरादे के लिए अभियुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि अभियुक्त ने छाती के दाईं ओर प्रहार करने का इरादा किया था जो घातक साबित हुआ।

ई.

च

जी.

एच.

1125

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

क.

55. चामरू में, बुधवा का पुत्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य,

ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 652, कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, जहां दोनों पक्षों के बीच गालियों का आदान-प्रदान हुआ था, दोनों लाठी से लैस थे, वे आपस में भिड़ गए और लड़ाई के दौरान आरोपी ने मृतक के सिर पर लाठी से वार किया, जिससे खोपड़ी टूट गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी ने पल की गर्मी में केवल एक झटका दिया था, यह माना गया कि केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उसने इस ज्ञान के साथ झटका दिया था कि इससे मौत होने की संभावना थी और इसलिए, अपराध के दायरे में आता है।

आई. पी. सी. की धारा 304, भाग II। विली (विलियम) स्लेनी बनाम द स्टेट

मध्य प्रदेश के ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 116 में, यहाँ के रूप में, अचानक झगड़ा हुआ जिससे गालियों का आदान-प्रदान हुआ और उस क्षण की गर्मी में हॉकी-स्टिक से सिर पर एक अकेला प्रहार किया गया था।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपराध गैर इरादतन हत्या है जो धारा 304, भाग 2 के तहत दंडनीय हत्या नहीं है।

ग

56. कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य, (1981) 4 एस. सी. सी. 245 में,

अभियुक्त ने बिना किसी पूर्व शत्रुता या पूर्व-चिंतन के, एक छोटे से झगड़े पर खंजर से एक भी प्रहार किया जो बाद में घातक साबित हुआ।इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि कोई पूर्वधारणा नहीं थी, इसलिए आई. पी. सी. की धारा 300 की धारा 3 को आकर्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त का इरादा उस विशेष चोट को पहुँचाना था जो अंततः दी गई थी।उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आरोपी की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत धारा 303 से बदल दिया गया था और आरोपी को पांच साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

डी.

ई.

57. जगतर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 2 एस. सी. सी. 342 में,

आरोपी ने पल भर में मृतक की छाती पर चाकू से वार किया।चोट जानलेवा साबित हुई।डॉक्टर ने राय दी कि प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।इस न्यायालय ने कहा किः(एस. सी. सी. पी. 344, पैरा 8):- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“8. ... झगड़ा मामूली प्रकृति का था और इस तरह के मामूली झगड़े में भी अपीलार्थी ने चाकू की तरह हथियार चलाया और सीने में प्रहार किया।इन परिस्थितियों में, यह एक अनुमेय निष्कर्ष है कि अपीलार्थी पर कम से कम इस ज्ञान के साथ आरोप लगाया जा सकता है कि वह ऐसी चोट का कारण बन सकता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।...”

जी.

(बल दिया गया)

एच.

इस न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 302 से बदलकर आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 2 कर दिया और अभियुक्त को पाँच साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।

58. हेम राज बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), 1990 पूरक एस. सी. सी. 291 में,

अभियुक्त ने मृतक की छाती पर एक छुरा घोंप कर चोट पहुंचाई।माना जा सकता है कि यह घटना पल भर में और अचानक हुए झगड़े के कारण जुनून की गर्मी में हुई थी।डॉक्टर के अनुसार चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पी. 295, पैरा 14) "-

“14. सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी को मृतक की मृत्यु के इरादे से उस विशेष चोट का कारण कहा जा सकता है।जैसा कि स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि यह घटना अचानक हुए झगड़े में सबसे अप्रत्याशित रूप से

हुई थी और बिना पूर्व-चिंतन के जिसके दौरान अपीलार्थी ने एकल चोट पहुंचाई थी, उस पर मृतक की मृत्यु करने के इरादे से या उस विशेष घातक चोट का कारण बनने के इरादे से आरोप नहीं लगाया जा सकता था; लेकिन उस पर इस ज्ञान के साथ आरोप लगाया जा सकता था कि वह एक ऐसी चोट का कारण बन सकता था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी।क्योंकि किसी भी सकारात्मक प्रमाण के अभाव में कि अपीलार्थी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से मृतक की मृत्यु का कारण बना या जानबूझकर उस विशेष चोट को पहुँचाया जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, न तो खंड I और न ही आई. पी. सी. की धारा 300 का खंड III आकर्षित किया जाएगा।"

ग

डी.

ई.

(जोर दिया गया) इस अदालत ने धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को दरकिनार करते हुए आरोपी को धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया और उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

च

59. हम अंत में पुलीचेरला नागराजू बनाम ए. पी. राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।, (2006) 11 एससीसी 444:(2007) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 500, जिसमें इस न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए प्रासंगिक कुछ परिस्थितियों की गणना की कि क्या अभियुक्त की ओर से मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा था।इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पीपी. 457-58, पैरा 29)

जी.

“29. इसलिए, अदालत को इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सावधानी और सावधानी के साथ निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तय करेगा कि मामला धारा 304 या 304 भाग I या A के तहत आता है या नहीं।

एच.

1127

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

304 भाग II। कई छोटे या महत्वहीन मामले-किसी फल को तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों के बीच झगड़ा, अशिष्ट शब्द बोलना या यहां तक कि आपत्तिजनक नज़र डालना, बहस और सामूहिक संघर्षों का कारण बन सकते हैं जो मौतों में परिणत हो सकते हैं।ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं।कोई इरादा नहीं हो सकता है।कोई पूर्वधारणा नहीं हो सकती है।वास्तव में, आपराधिकता भी नहीं हो सकती है।स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के मामले हो सकते हैं जहां आरोपी एक मामले को सामने रखने का प्रयास करके हत्या के लिए दंड से बचने का प्रयास करता है कि मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था।यह सुनिश्चित करना अदालतों का काम है कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग I/II के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाए, या गैर इरादतन हत्या के मामलों को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के रूप में माना जाए।मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से एकत्र किया जा सकता हैः((i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था या घटनास्थल से उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाकर किया गया था; (iv) चोट पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए गए बल की मात्रा; (v) क्या यह कार्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान हुआ था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था; (vi) क्या घटना संयोग से हुई थी या क्या कोई पूर्वधारणा थी; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या क्या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा हुआ था, और यदि ऐसा है, तो इस तरह के उकसावे का कारण; (ix) क्या यह जुनून की गर्मी में था। परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और अलग-अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इरादे के सवाल पर प्रकाश डाल सकती हैं।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

(जोर दिया गया) 60।उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट होने वाले कानून के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1) जब अदालत से इस सवाल का सामना किया जाता है कि आरोपी ने क्या अपराध किया है, तो सही परीक्षा यह है कि

एच.

इस कृत्य को करने में अभियुक्त के इरादे या ज्ञान का पता लगाएं।यदि इरादा या जानकारी आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (1) से (4) में वर्णित है, तो यह कार्य हत्या होगी, भले ही केवल एक चोट लगी हो।इसे स्पष्ट करने के लिएः'ए 'हाथ और पैर से बंधा होता है।'बी 'आता है और अपनी रिवॉल्वर को' ए 'के सिर पर रखता है, उसके सिर में' ए 'गोली मारता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है।यहां यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि 'ए' की शूटिंग में 'बी' का इरादा उसे मारने का था, हालांकि केवल एक चोट लगी थी।अतः यह मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (1) के अंतर्गत आने वाली हत्या का होगा। एक अन्य उदाहरण लेते हुए, 'बी' अपने दुश्मन 'ए' के शयनकक्ष में घुस जाता है, जबकि 'ए' अपने बिस्तर पर सो रहा होता है।'ए' की बाईं छाती पर निशाना साधते हुए, 'बी' जबरन 'ए' की बाईं छाती में तलवार फेंक देता है और भाग जाता है।'इसके तुरंत बाद ए 'की मृत्यु हो जाती है।प्रकृति के सामान्य क्रम में 'ए' की चोट को मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाया गया।यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि 'बी' ने जानबूझकर विशेष चोट को जन्म दिया और यह कि उक्त चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए निष्पक्ष रूप से पर्याप्त थी।यह 'बी' के अधिनियम को आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (3) के भीतर लाएगा और उसे हत्या के अपराध का दोषी ठहराएगा, हालांकि केवल एक चोट लगी थी।

ग

डी.

(2) यहां तक कि जब अभियुक्त का इरादा या जानकारी आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (1) से (4) के भीतर आ सकती है, तब भी अभियुक्त का कार्य जो अन्यथा हत्या होगी, हत्या के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा, यदि अभियुक्त का मामला उस धारा में उल्लिखित पांच अपवादों में से किसी एक को आकर्षित करता है।उन अपवादों में से किसी के अंतर्गत आने वाले मामले की स्थिति में, अपराध आई. पी. सी. की धारा 304 की धारा 1 के अंतर्गत आने वाली गैर इरादतन हत्या होगी, यदि अभियुक्त का मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (1) से (3) के भीतर आता है। यदि मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड (4) के अंतर्गत आता है तो यह धारा 304 के भाग 2 के तहत अपराध होगा। पुनः, अभियुक्त का इरादा या ज्ञान ऐसा हो सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 299 का केवल दूसरा या तीसरा भाग आकर्षित किया जा सके, लेकिन आई. पी. सी. की धारा 300 के किसी भी खंड को नहीं। उस स्थिति में भी, अपराध आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या होगी। यह उस धारा के भाग I के तहत एक अपराध होगा, अगर मामला ए के दूसरे भाग के भीतर आता है।

ई.

च

जी.

एच.

1129

अंबाजगन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

धारा 299, जबकि यह धारा 304 के भाग II के तहत एक अपराध होगा यदि मामला आई. पी. सी. की धारा 299 के तीसरे भाग के भीतर आता है। (3) दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति का कार्य आई. पी. सी. की धारा 299 में वर्णित गैर इरादतन हत्या के मामलों के पहले दो खंडों के भीतर आता है, तो यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। हालाँकि, यदि यह तीसरे खंड के भीतर आता है, तो यह धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।वास्तव में, इसलिए, इस धारा का पहला भाग तब लागू होगा जब 'दोषी इरादा' हो, जबकि दूसरा भाग तब लागू होगा जब ऐसा कोई इरादा नहीं हो, लेकिन 'दोषी ज्ञान' हो।

(4) भले ही एक चोट लगी हो, अगर उस विशेष चोट का इरादा था, और निष्पक्ष रूप से वह चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, तो आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड 3 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और अपराध हत्या होगी।

ग

(5) आई. पी. सी. की धारा 304 निम्नलिखित वर्गों के मामलों पर लागू होगीः(i) जब मामला धारा 300 के खंडों में से एक या दूसरे के तहत आता है, लेकिन यह उस धारा के अपवादों में से एक द्वारा कवर किया जाता है, (ii) जब होने वाली चोट उच्च स्तर की संभावना की नहीं होती है जो 'प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त' अभिव्यक्ति द्वारा कवर की जाती है, लेकिन इसकी संभावना कम होती है जिसे आम तौर पर 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना' के रूप में कहा जाता है और मामला आईपीसी की धारा 300 के खंड (2) के तहत नहीं आता है, (iii) जब यह कार्य इस जानकारी के साथ किया जाता है कि मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु या मृत्यु का कारण बनने की संभावना वाली चोट के इरादे के बिना किया जाता है।

डी.

ई.

च

इसे और अधिक संक्षिप्त रूप से रखने के लिए, आई. पी. सी. की धारा 304 के दो भागों के बीच अंतर यह है कि पहले भाग के तहत, हत्या का अपराध पहले स्थापित किया जाता है और फिर आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी भी स्थापित नहीं होता है।इसलिए, किसी अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के उद्देश्य से, अभियुक्त को अपने मामले को आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है।

जी.

(6) 'संभावना' शब्द का अर्थ है संभवतः और यह अधिक 'संभवतः' से अलग है।जब होने की संभावना समान या अधिक होती है

एच.

अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बात 'शायद होगी'।निष्कर्ष पर पहुँचने में, अदालत को खुद को अभियुक्त की स्थिति में रखना होता है और फिर यह निर्णय करना होता है कि क्या अभियुक्त को इस बात की जानकारी थी कि इस कार्य से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी।(7) आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत किसी आरोप से निपटने के दौरान गैर इरादतन हत्या (आई. पी. सी. की धारा 299) और हत्या (आई. पी. सी. की धारा 300) के बीच के अंतर को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। गैरकानूनी हत्याओं की श्रेणी के तहत, दोनों, गैर-इरादतन हत्या के मामले और गैर-इरादतन हत्या के मामले आते हैं।जब मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवादों के भीतर लाया जाता है तो दोषपूर्ण हत्या हत्या नहीं है। लेकिन, भले ही उक्त पांच अपवादों में से किसी का भी अनुरोध नहीं किया गया है या रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया गया है, फिर भी हत्या के आरोप को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 300 के चार खंडों में से किसी के तहत मामले को लाने के लिए कानून के तहत अभियोजन की आवश्यकता होनी चाहिए।यदि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 300 के चार खंडों में से किसी एक को स्थापित करने में इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, अर्थात्, 1 से 4 तक, तो हत्या का आरोप नहीं लगाया जाएगा और मामला गैर-इरादतन हत्या का हो सकता है जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 299 के तहत वर्णित है।

ग

डी.

(8) अदालत को पुरुषों के अधिकार के सवाल पर खुद को संबोधित करना चाहिए।यदि धारा 300 का तीसरा खंड लागू किया जाना है, तो हमलावर को मृतक को दी गई विशेष चोट का इरादा रखना चाहिए।इस घटक को शायद ही कभी प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित किया जा सकता है।अनिवार्य रूप से, यह मामले की सिद्ध परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालने का विषय है।अदालत को आवश्यक रूप से उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, शरीर के घायल हिस्से, चोट की सीमा, चोट पहुँचाने में उपयोग किए गए बल की मात्रा, हमले के तरीके, हमले से पहले की परिस्थितियों और परिचर को ध्यान में रखना चाहिए।

ई.

च

(9) हत्या का इरादा ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है जो एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है।प्रकृति के सामान्य कारण में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोट या चोट पहुँचाने का इरादा भी एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है यदि मृत्यु वास्तव में हुई है और ऐसी चोट या चोट पहुँचाने के इरादे का अनुमान उस कार्य या कार्य से लगाया जाना है जिसके परिणामस्वरूप चोट या चोट लगी है।

जी.

(10) जब अभियुक्त द्वारा की गई एकल चोट के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी अनुमान, एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, ए नहीं हो सकता है

एच.

यह इंगित किया गया कि अभियुक्त का इरादा मृत्यु या उस विशेष चोट का कारण बनने का नहीं था जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हुई।किसी अभियुक्त का दोषी ठहराने का इरादा था या नहीं, यह तथ्य का सवाल है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है।

(11) जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि अभियुक्त का इरादा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक चोट पहुँचाने का था और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में अपेक्षित चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तो, भले ही वह एक भी चोट लगाता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, अपराध पूरी तरह से आई. पी. सी. की धारा 300 के तीसरे खंड के तहत आता है जब तक कि एक अपवाद लागू नहीं होता है।

ग

(12) सवाल का निर्धारण करने में, क्या किसी आरोपी को ऐसे मामले में दोषी होने का इरादा या दोषी ज्ञान था जहां उसके द्वारा केवल एक ही चोट दी गई है और यह कि प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में चोट मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, यह तथ्य कि यह कार्य अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्व-चिंतन के बिना किया गया है, या यह कि परिस्थितियां यह उचित ठहराती हैं कि चोट आकस्मिक या अनजाने में थी, या कि उसने केवल एक साधारण चोट का इरादा किया था, दोषी ज्ञान का अनुमान लगाएगा, और अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत एक होगा।

डी.

ई.

61. हम एक बार फिर इस मामले के तथ्यों को दोहराते हैं।घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पिता और पुत्र सुबह-सुबह अपने खेत में काम कर रहे थे।वे फसल का परिवहन करना चाहते थे, उन्होंने कटाई की थी और उस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक लॉरी बुलाई थी।लॉरी पहुंची, लेकिन मृतक ने लॉरी के चालक को विवादित रास्ते का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी।इससे अपीलार्थी और मृतक के बीच जुबानी जंग हो गई।काफी समय तक मौखिक बहस के बाद, अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर अपराध के हथियार (खरपतवार) से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।62. अभिलेख पर समग्र साक्ष्य को देखते हुए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल लगता है कि जब अपीलार्थी ने मृतक को अपराध के हथियार से मारा, तो उसका इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना था जो मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त थी।वर्तमान मामले में अपराध का हथियार एक सामान्य कृषि उपकरण है।यदि किसी व्यक्ति के सिर पर पर्याप्त बल से खरपतवार से मारा जाता है, तो यह मृत्यु का कारण बनना तय है।यह सच है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिखाई गई चोटें पार्श्विका हड्डी के साथ-साथ अस्थायी हड्डी का फ्रैक्चर भी हैं।

च

जी.

एच.

हड्डी।मृतक की मृत्यु मस्तिष्क संपीड़न यानी सिर की आंतरिक चोटों के कारण हुई।तथापि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या यह अपने आप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी का इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना था जो मृत्यु पहुँचाने के लिए पर्याप्त थी।हमारा विचार है कि अपीलार्थी को केवल इस ज्ञान के साथ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि इससे ऐसी चोट लगने की संभावना थी जिससे मृत्यु होने की संभावना थी।ऐसी परिस्थितियों में हम यह विचार रखने के लिए इच्छुक हैं कि मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड तीन के अंतर्गत नहीं आता है। 63.मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में और विशेष रूप से ऊपर बताए गए कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।आई. पी. सी. की

धारा 304 भाग I के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत एक में बदल दिया गया है। परिवर्तित दोषसिद्धि के लिए, अपीलार्थी को पाँच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।

ग

अंकित ज्ञान

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.